निर्णय

UPGZ010172782022 _

फार्म– ए

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट सं० 1/अपर सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।
उपस्थित–अमित कुमार प्रजापति(उच्चतर न्यायिक सेवा),
J.O. Code.UP–6330
(निर्णय की तिथि–13–03–2023)

फौजदारी वाद संख्या : 202/2022,
सैशन केस नं० 1853/2022
CNR N0.**UPGZ**01–017278–2022

मु0 अपराध संख्याः 534/2022
धारा–363, 376**A B**,302,323 भा0 दं0 सं0 एवं 5/6 पोक्सो एक्ट
थाना–मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद।

परिवादी/शिकायतकर्ता	उत्तर प्रदेश राज्य
द्वारा	श्री संजीव कुमार बखरवा, विशेष अभियोजन अधिकारी, पोक्सो एक्ट
अभियुक्त	कपिल पुत्र मोहन निवासी–ग्राम रोरी, थाना–मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद।
द्वारा अधिवक्ता (न्याय मित्र)	श्री अवध कुमार त्यागी, एडवोकेट

फार्म– बी

अपराध की तिथि	दिनांक–18–08–2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	दिनांक–19–08–2022
आरोप–पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	दिनांक–25–08–2022
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	दिनांक–14–09–2022
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक–23–09–2022

WWW.LIVELAW.IN

निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	दिनांक– 06–03–2023
निर्णय/दण्डादेश का दिनांक	दिनांक– 13–03–2023/15–03–2023

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	अपराध के आरोप	बरी या सजा	की गयी सजा	धारा– 428 Cr.p.c. के उद्देश्य से अभियुक्त के हिरासत में निरूद्धि की अवधि
01–	कपिल	दि0.19–8–2022	जमानत पर नहीं छोड़ा गया।	**363,376A B,302,323,भा.दं.सं. एवं 5/6 पोक्सो एक्ट,**	सजा	मृत्यु दण्ड	गिरफ्तारी दिनांक 19–08–2022 से अब तक।

फार्म सी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षीगण की सूची–

ए. अभियोजन–

क्रम सं0	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी०डब्लू० 1	इमरान पुत्र ताहिर	वादी मुकदमा
पी०डब्लू० 2	कु० शिफा पुत्री शकील	चक्षुदर्शी साक्षी
पी०डब्लू० 3	सत्यपाल	तथ्य का साक्षी
पी०डब्लू० 4	आसिफ उर्फ आसू	अन्य साक्षी
पी०डब्लू० 5	पी.डव्लू.5 राजेन्द्र	तथ्य का साक्षी
पी०डब्लू० 6	डा० विपिन उपाध्याय	चिकित्सक साक्षी
पी०डब्लू० 7	एस.आई. भरत सिंह परिहार	पुलिस साक्षी(प्रथम विवेचक)
पी०डव्लू० 8	उ.नि. प्रीति सिंह	पुलिस साक्षी(पंचायतनामा)
पी०डव्लू0 9	निरीक्षक योगेन्द्र कुमार	पुलिस साक्षी (द्वितीय विवेचक)
पी.डव्लू.10	कु०शिफा पुत्री इमरान	चक्षुदर्शी अन्य साक्षी
पी.डव्लू.11	डा० अनिल यादव	चिकित्सक साक्षी

WWW.LIVELAW.IN

पी.डव्लू.12	काँ० लकीपाल सिंह	औपचारिक पुलिस साक्षी
पी.डव्लू.13	एच.सी.716 अमित कुमार	औपचारिक पुलिस साक्षी
पी.डव्लू.14	श्रीमती कृष्णा कुमारी	अन्य साक्षी

बी0 प्रतिरक्षा साक्षी–

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	कोई नहीं	

सी– न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो,

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	कोई नहीं।	विशेषज्ञ साक्षी(वैज्ञानिक अधिकारी)

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची–

ए. अभियोजन

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण/उल्लेख
1.	प्रदर्श क–1/पी०डब्लू० 1	तहरीर
2–	प्रदर्श क–2/ पी०डब्लू० 5	पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीड़िता
3–	प्रदर्श क–3 4, 5/पी0 डब्लू07	क्रमशः नक्शा नजरी घटना स्थल,नक्शा नजरी शव बरामदगी स्थल, गिरफ्तारी प्रपत्र
4–	प्रदर्श क–6/ पी०डब्लू० 8	पंचायतनामा
5–	प्रदर्श क–7,8 , 9/पी.डव्लू.9	फर्द बरामदगी घटना में प्रयुक्त वस्तु, फर्द मिट्टी घटना स्थल, नक्शा नजरी
6–	प्रदर्श क– 10 पी.डव्लू.9	एफ.एस.एल. को प्रेषित प्रपत्र
7–	प्रदर्श–क.11/ पी.डव्लू.9	पैन ड्राइव सी.सी.टी.वी. फुटेज से सम्बन्धित 65 बी. प्रमाण–पत्र
8–	प्रदर्श क–12,/पी.डव्लू.9	आरोप–पत्र
9–	प्रदर्श क–13,/पी.डव्लू.11	मेडिकल प्रमाण–पत्र, शिफा पुत्री शकील
10–	प्रदर्श क–14 पी.डव्लू.12	चिक एफ.आई.आर.
11–	प्रदर्श क–15/ पी.डव्लू. 13	नकल जी.डी.

WWW.LIVELAW.IN

12–	प्रदर्श क–16/पी.डब्लू.14	प्रवेश पत्र मृतका की प्रमाणित छाया प्रति
13–	प्रदर्श क–17/पी.डब्लू.14	एस.आर. रजिस्टर

बी. प्रतिरक्षा प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण/उल्लेख
1.	कोई नहीं	कोई नहीं

डी. वस्तु प्रदर्श

माल पुलन्दा में से निकले सफेद लिफाफा वस्तु प्रदर्श–1, एक अन्य लिफाफा घटना स्थल से ली गयी मिट्टी को वस्तु प्रदर्श–2, एक अन्य सफेद लिफाफा एनल स्वाव वस्तु प्रदर्श–3, एक अन्य लिफाफा वैजाइनल स्लाइड वस्तु प्रदर्श–4, एक अन्य लिफाफा ओरल स्वाव व नमूना वस्तु प्रदर्श–5,एक अन्य लिफाफा अभियुक्त कपिल से प्राप्त ब्लड नमूना वस्तु प्रदर्श–6,एक अन्य सफेद लिफाफा अभियुक्त से प्राप्त प्यूबिकहेयर वस्तु प्रदर्श–7,एक अन्य लिफाफा अभियुक्त से प्राप्त नेल स्क्रेनिंग वस्तु प्रदर्श–8, एक अन्य सफदे लिफाफा मृतका से प्राप्त स्वैव नमूना वस्तु प्रदर्श–9,एक अन्य लिफाफा अभियुक्त से प्राप्त स्कैल्प हेयर वस्तु प्रदर्श–10 स्मेग्मा व पेनिस स्वेव वस्तु प्रदर्श क–11, एक अन्य सफेद लिफाफे से निकला मृतका से प्राप्त एक एनल स्वैव स्लाइड का पेयर नमूना वस्तु प्रदर्श–12, एक अन्य सफेद लिफाफा अभियुक्त से प्राप्त ड्राइ ग्लास पेनिस स्लाइड वस्तु प्रदर्श–13, एक अन्य लिफाफे से निकले ओरल स्वाव को वस्तु प्रदर्श–14, एक पीले बड़े लिफाफे को न्यायालय के समक्ष खोले जाने से उसमें निकले अभियुक्त के कपड़े नीले रंग का लोअर, एक अण्डरवीयर महरून कलर का, एक टी शर्ट नीले व महरून कलर, एक बनियान स्काई ब्लू,लिफाफे को वस्तु प्रदर्श–15 तथा एक अन्य पुलन्दा से मृतका के घटना के समय पहने कपड़े निकले जिसमें एक पाजामी, एक टॉप व घास के टुकड़े घटना स्थल से लिये, वस्तु प्रदर्श–16, मृतका के कपड़े व अन्य सामान जिस पोटली सफेद मारखीन में रखे थे, वस्तु प्रदर्श–17 व एटलस कम्पनी की साइकिल काले रंग की जो घटना के समय अभियुक्त के पास थी व अभियुक्त की निशानदेही पर कब्जे में ली गयी थी, को वस्तु प्रदर्श–18, पैन ड्राइव वस्तु प्रदर्श–19

1– अभियुक्त कपिल के विरूद्ध थाना मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–534/2022 में **धारा–363,302,376AB,323,भा0 दं0 सं0 एवं धारा–5/6 पोक्सो एक्ट** के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त का विचारण किया गया। जिसमें वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता/मृतका तथा भान्जी/पीड़िता हैं जिसकी पहचान प्रकट न करने के लिये उन्हें नाम से सम्बोधित न करके वादी मुकदमा की पुत्री को 'मृतका' एवं भान्जी को पीड़िता शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा इमरान पुत्र तहिर, ग्राम रोरी, थाना–मोदीनगर, गाजियाबाद की ओर से लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 थाना प्रभारी, थाना मोदीनगर, जिला गाजियाबाद को इस आशय की दी गयी कि दिनांक–18–08–2022 को समय सायं लगभग 7.00 बजे उसकी पुत्री (मृतका) उम्र–9 वर्ष एवं उसकी भान्जी पीड़िता उम्र 6 वर्ष, घर के बाहर खेल रही

WWW.LIVELAW.IN

थी, उसके गाँव का ही कपिल पुत्र मोहन, उम्र करीब 25 साल बहला फुसला कर साइकिल पर बैठाकर जंगल की तरफ ले गया। लगभग 9.30 बजे शिफा शमशान घाट के पास, भखरवा के पास मिली, अभी तक वादी की पुत्री (मृतका)घर वापस नहीं आयी है। वादी तथा गाँव वालों ने मिलकर काफी खोज की लेकिन मृतका का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। अतः कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी।

3– वादी की उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक–19–08–2022 को समय 04.05 बजे अभियुक्त कपिल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–**363 भा0 दं0 सं0** में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर मु.अ.सं.534/2022 थाना–मोदीनगर पर पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा जीडी में उसी दिन प्रविष्ट सं० 6 में किया गया तथा विवेचना उप 0 नि0 भरत सिंह परिहार के सुपुर्द की गयी।

4– विवेचनाधिकारी उपनिरीक्षक भरत सिंह द्वारा नकल चिक विवरण, जी.डी. कायमी मुकदमा, बयान जी०डी० लेखक योगेन्द्र कुमार, बयान वादी इमरान, बयान सतपाल, राजेन्द्र,आसिफ पुत्र शौकीन,पीड़िता पुत्री शकील, शिफा पुत्री इमरान एवं अन्य के बयान अंकित किये गये तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार की गयी। दौरान विवेचना अभियुक्त कपिल पुत्र मोहन को दिनांक–19–08–2022 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से की गयी पूछताछ में अपराध की संस्वीकृति करते हुए मौके पर जाकर , शाहजहाँपुर गाँव के ईख के खेत से मृतका का शव बरामद कराया, मौके से घटना में प्रयुक्त साइकिल, 2 जोड़ी चप्पल, मृतका के दाहिने हाथ से बरामद बाल फोरेन्सिक टीम द्वारा एकत्रित किये गये तथा बरामद वस्तुओं को सील सर्व मुहर कर,नमूना मोहर तैयार किया, बरामद बाल कागज के अन्दर रखकर सील कर नमूना मोहर तैयार किया, उपरोक्त की फर्द प्रदर्श क– 7 प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र सिंह के बोलने पर एस.आई. विजय कुमार यादव से, साक्षीगण–फुरकान,इमरान, ताहिर एवं अभियुक्त कपिल के समक्ष तैयार की गयी, जिनके हस्ताक्षर फर्द पर कराये गये। घटना स्थल से दिनांक–19–08–2022 को ही शव मिलने के स्थान की मिट्टी मिलान हेतु रूबरू गवाहान उपरोक्त , ली जाकर एक पारदर्शी डिब्बे में सील व सर्वेमोहर कर, नमूना मोहर तैयार किया गया, जिसकी फर्द प्रदर्श क–8 तैयार की गयी। पीड़िता पीड़िता पुत्री शकील का धारा–161 द.प्र.स. का बयान अंकित किया गया। विवेचनाधिकारी भरत सिंह परिहार द्वारा जिस स्थान पर बच्चों के साथ पीड़िता एवं मृतका का खेलना व अभियुक्त कपिल द्वारा उन्हें साइकिल पर बैठाकर ले जाना बताया गया है, का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–3, एवं शव बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 तैयार किया गया। जिला संयुक्त चिकित्सालय, संजय नगर गाजियाबाद में पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, मृतका के शव का पंचायतनामा प्रदर्श क–6 उ.नि. प्रीत सिंह द्वारा पंचान नियुक्त किया जाकर,तैयार किया गया, राय पंचान में मृतका की मृत्यु दुष्कर्म करने व गला दबाकर होने से प्रतीत होना पाया गया, मृतका के शव–विच्छेदन हेतु–पुलिस प्रपत्र फार्म–13, चिठठी सी.एम.ओ., फोटो नाश,नमूना मोहर आदि तैयार किये गये तथा शव परीक्षण हेतु भेजा गया, मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गयी तथा सम्बन्धित चिकित्सिका डा० प्राची पॉल का बयान अंकित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका बच्ची/पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने और गला घोंट कर हत्या किये जाने की पुष्टि हुई। तमामी विवेचना, बयान वादी, गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल,बरामदगी स्थल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर, प्राप्त निष्कर्ष के परिणामतः अभियुक्त कपिल पुत्र मोहन के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रदर्श क–12 अन्तर्गत **धारा–363,376AB, 302, 323 भा.द.सं. तथा**

WWW.LIVELAW.IN

धारा– 5/6 पोक्सो एक्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– आरोप पत्र पर विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधि०, गाजियाबाद द्वारा दिनांक–27–08–2022 को प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त अभियुक्त कपिल को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें दं0 प्र 0 सं0 की धारा–207 के अन्तर्गत प्रदान की गई तथा अभियुक्त कपिल के विरूद्ध **धारा–363,376AB,302,323 भा0 दं0 सं0 एवं धारा– 5/6 पोक्सो एक्ट** के अन्तर्गत आरोप **दिनांक–14–09–2022** को विरचित किये गये। आरोपों को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की प्रार्थना की।

6– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में–पी०डब्लू० 1 इमरान(वादी), पी०डब्लू० 2 शिफा पुत्री शकील, पी०डब्लू० 3 सतपाल, पी०डब्लू० 4 आसिफ उर्फ आशू, पी०डब्लू० 5 राजेन्द्र, पी०डब्लू० 6 डा० विपिन चन्द्र उपाध्याय, एवं पी०डब्लू० 7 एस.आई. भरत सिंह परिहार, पी.डव्लू.8 उ०नि०प्रीति सिंह, पी.डव्लू.9 निरीक्षक योगेन्द्र कुमार सिंह, पी.डव्लू.10 शिफा पुत्री इमरान, पी.डव्लू.11 डा० अनिल यादव, पी.डव्लू.12 काँ० 1211 लकीपाल सिंह, पी.डव्लू. 13 एच.सी.पी. अमित कुमार, पी०डव्लू० 14 श्रीमती कृष्णा कुमारी को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 द.प्र.सं. अंकित किये गये। अभियुक्त ने स्वयं पर लगाये गये आरोपों को गलत बताया है तथा साक्षी पी.डव्लू. 1 ता 8 द्वारा झूठी गवाही देना कहा है, पी.डव्लू.9 विवेचक द्वारा विवेचना गलत किया जाना व निष्पक्ष रूप से न किया जाना, गलत नक्शा नजरी व प्रपत्र तैयार करना कहा है। स्वयं को घर से उठाये जाने का कथन किया है। साक्षी पी.डव्लू. 10 ता 14 की साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। अन्त में कहा है कि वह बिल्कुल निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है, उसे झूठा फँसाया गया है।

7– अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में निम्न प्रकार अभियोजन साक्ष्य आया है–

पी.डव्लू.1 इमरान घटना का वादी एवं मृतका का पिता है। सशपथ कथन किया है कि, घटना दिनांक–18–08–2022 की है। समय करीब शाम 7.00 बजे, जब वह गाँव में ही था, उसकी भान्जी पीड़िता आयु करीब 6 वर्ष व उसकी पुत्री मृतका उम्र करीब 9 वर्ष को गाँव का ही रहने वाला अभियुक्त कपिल साइकिल पर, बहला फुसलाकर गाँव बखरवा के जंगल में ले गया । जब अभियुक्त, बेटी मृतका व पीड़िता को ले जा रहा था तो गाँव के ही राजेन्द्र व सतपाल ने देखा था। कपिल ने साक्षी की बेटी के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी गला घोंट कर ईख के खेत में खींच कर ले गया, जिससे साक्षी की बेटी मर गयी। साक्षी ने बेटी मृतका व भान्जी पीड़िता के गुम होने के बाद इधर–उधर तलाश किया था, फिर पुलिस को फोन किया। पुलिस आ गयी । साक्षी की बेटी को तलाश कराया, बेटी मृतका के साथ भान्जी पीड़िता गयी थी वह जंगल बखरवा में ही मिली थी। साक्षी की बेटी के बारे में पीड़िता ने बताया कि वह वहाँ पड़ी है। मौके से साक्षी की बेटी की लाश बरामद हुई । पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। साक्षी व साक्षी का साला व दो पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए गये थे। साक्षी ने पोस्टमार्टम के बाद बेटी का अन्तिम संस्कार किया , फिर पुलिस ने अभियुक्त कपिल को पकड़ लिया था। साक्षी ने घटना के सम्बन्ध में एक तहरीर स्वयं बोलकर, उस पर अपने हस्ताक्षर करके थाने में दी जो पत्रावली में दाखिल है। साक्षी ने पत्रावली में उक्त तहरीर को तस्दीक कर, प्रदर्श क–1 के रूप में साबित की है तथा पुलिस द्वारा पूछताछ कर साक्षी के बयान लेना कहा है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित पी.डव्लू.2 पीड़िता पुत्री शकील आयु–6 वर्ष, एक बालिका

WWW.LIVELAW.IN

साक्षी है, जिसकी साक्ष्य से पूर्व न्यायालय द्वारा उससे प्रश्न पूछे जाकर, उसकी समझने की शक्ति का आँकलन किया गया, समझने में सक्षम पाते हुए, साक्षी की साक्ष्य न्यायालय द्वारा अंकित की गयी। साक्षी ने सशपथ बयान किया कि, (मृतका) की बहन है, वह मर चुकी है, मृतका को कपिल ने मारा। वह मृतका के साथ शाम के 6.00 बजे थी, हम दोनों को कपिल साइकिल पर बैठा कर ईख में ले गया वहाँ उसने मेरा गला घोंटा, मृतका का गला भी घोंटा फिर उसके ऊपर लेट गया, मृतका मर गयी, फिर कपिल कहीं चला गया। मैंने अपनी नानी को आकर बताया था।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डव्लू० 3 सतपाल** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि, घटना दिनांक–18–08–2022 समय करीब 6.30 बजे की बात है, वह शाहजहाँपुर वाले रास्ते पर लैट्रिन कर रहा था। एक लड़की आगे थी और एक पीछे बैठा रखी थी, साइकिल थी, जिसमें शाबिर की धेवती थी, एक ताहिर की पोती थी। **कपिल बैठाकर ले जा रहा था। साक्षी को देखते ही उसने साइकिल गाँव की तरफ मोड़ ली,** जब मैं गाँव में आया तो देखा कि उधर से भीड़ आ रही थी, उन्हीं दोनों बच्चियों को तलाश के लिए, उन्होंने मुझसे पूछा था कि दो बच्चियों को कौन ले जा रहा था, तब साक्षी मैंने बताया कि ताहिर ले जा रहा था, फिर कहा कि कपिल ले जा रहा था। मैंने लड़कियों को ढूढने के लिए सहयोग किया, फिर साबिर की लड़की मिल गयी और ताहिर की पोती नहीं मिली। पुलिस ने साक्षी से पूछताछ की थी, दोनों बच्चियों की उम्र–8,9 वर्ष होगी और दूसरी की उम्र 7–8 वर्ष रही होगी।

अभियोजन की ओर से परीक्षित पी.डव्लू.4 **आसिफ उर्फ आशु** ने सशपथ बयान किया है कि, घटना दिनांक–18–08–2022 बजे की, शाम करीब 9, 9.30 बजे की है। साक्षी उस समय घर पर खाना खा रहा था, साक्षी के पापा शौकीन के फोन पर साक्षी की बहन रेशमा का फोन आया था । कपिल नाम का लड़का सानिया व शिफा को बैठाकर ले गया था और अभी तक नहीं मिली है, 4–5 जने हम अपनी बहन के घर पहुँच गये, फिर हमें सूचना मिली कि एक लड़की मिल गयी है, फिर हमने सोचा कि यह लड़की हमारी है, फिर पता चला कि वह दूसरी लड़की है, हमारी लड़की नहीं मिली। हमने पुलिस के साथ लड़की को ढूढना शुरू कर दिया था। दो घण्टे हमने पुलिस के साथ मिलकर ढूंढा था फिर कपिल मिल गया था, कपिल को पकड़ कर चौकी ले गये थे, कपिल ने लड़की को मार दिया व ईख के खेत में पड़ी है। कपिल ने बताया था, मुँह भींच कर गला घोंट कर मारा है। कपिल को मौके पर ले जाकर लड़की को बरामद किया , फिर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल एम.एम.जी ले गये थे। साक्षी ने पुलिस द्वारा इस मामले में बयान लिया जाना भी कहा है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डव्लू.5 राजेन्द्र ने** अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि, घटना दिनांक–18–08–2022 समय करीब 5.30 या 6.00 की है, वह अपने शाहजहाँपुर वाले रास्ते पर खड़ा था जहाँ उसकी टयूबवैल है,साक्षी घर की तरफ जाने के लिए सतीश का इन्तजार कर रहा था तो कपिल साइकिल पर बडी लड़की इमरान की बेटी थी, छोटी शिफा साबिर की धेवती पीछे बैठा रखी थी। वह शाहजहाँपुर की तरफ चला तो उसे गाँव का सतपाल मिल गया, उसने अपनी साइकिल बखरवा की तरफ मोड़ ली। गाँव में रूक्म मच रहा था । छोटी लड़की भाग गयी, बड़ी लड़की के साथ बलात्कार किया और जान से मार दी। इस साक्षी ने पुलिस द्वारा बयान लिया जाना कहा है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डव्लू.6 डा० विपिन चन्द्र उपाध्याय** ने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक–19–08–2022 को उसकी डयूटी एम.एम.जी.

WWW.LIVELAW.IN

अस्पताल में तैनाती के दौरान पोस्टमार्टम हाउस में थी। उस दिन साक्षी ने मृतका पुत्री इमरान, जिसे थाना मोदी नगर से एक कॉस्टेबिल एवं एक महिला कॉ० लेकर आये थे, का शव विच्छेदन किया था। साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि मृतका की लम्बाई 123 से.मी.थी, बाहरी परीक्षण में मृतका औसत कद काठी की थी। मृतका के शरीर में अकड़न मौजूद थी, मृतका के नाखूनों पर नीले पड़े हुए थे। चेहरा कन्जेस्टैड था। नाक से हवा व खून मौजूद था। पीड़िता के शरीर पर बाहरी चोटें निम्न पायीं गयी–

1– काटे का निशान नीचे होट में अन्दर की ओर आकार सीधा आधा X आधा से.मी.

2– 1.5 से.मी.गर्दन में पीछे की तरफ दांयी साइड पर कई खुरचन के निशान थे।

3– 4X3 से.मी.जगह पर या परिधि पर मृतका के दांयी हाथ पर कई खुरचन के निशान मौजूद थे।

4– 7X4 से.मी की परिधि में मृतका की हाइमन झिल्ली फटी हुई थी तथा ब्लड उसके आस–पास मौजूद था। पीड़िता की गर्दन के सामने की तरफ कन्टयूजन का निशान मौजूद था। आकार 13X2 से.मी. जोकि सीधे कान से 3 से.मी. नीचे ठोड़ी से 3 से.मी. तथा बांये कान से 3 सेन्टीमीटर नीचे था। .....।

<u>आन्तरिक परीक्षण–</u>

आन्तरिक परीक्षण में दिमाग कन्जेस्टैड था, आर्टिनरी कन्जेस्टैड थी। हाइड बोन नोर्मल थी,इन्टैक्ट थी। ट्रैकिया डैमेज थी और टूटी हुई थी, पसलियां नोर्मल थी, दोनों फैफड़े कन्जेस्टैड थे तथा फूले हुए थे तथा हेयर बबल्स मौजूद थे। (इन्फाइनेटस) सीधे तरफ गाढे रंग का खून मौजूद था तथा बांयी साइड दिल खाली था । पेट में लगभग 70 से 80 ग्राम खाना मौजूद था और स्टौमक की वाल्स नार्मल थीं । आँतो में मल सड़ा हुआ था। लीवर, यकृत कन्जैस्टैड था। गाल ब्लैडर आधा भरा हुआ था। स्पिलीन व किडनी कन्जैस्टैड थी, मूत्राशय आधा भरा हुआ था। यूट्रस नोर्मल था। हाइमन झिल्ली फटा हुआ था। उसमें आसपास ब्लड मौजूद था। पीड़िता मृतका के शरीर से कुछ नमूने–वैजानल स्मीयर, एक एनल स्वाव, एक ओरल स्वाव लिया गया तथा सील करके आये कॉस्टेबिल को दिया गया। साक्षी के अनुसार मृत्यु का सम्भावित समय तीन–चौथाई दिन का समय था मृत्यु का कारण गला घोटने के कारण हुआ एक्सीडिया है। पोस्टमार्टम के समय मृतका के शरीर पर पाये गये कपड़ो में एक पाजामा, एक टॉप तथा साथ हरी घास को सील करके साथ आये कॉंस्टेबिल को दे दिये गये थे। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी श्री पवन गौतम द्वारा की गयी तथा वीडियो ग्राफी मैमोरी कार्ड को सील करके विवेचना अधिकारी के सुपुर्द कर दिया गया। यह पोस्टमार्टम दो डॉक्टर्स की टीम द्वारा किया गया जिसमें एक स्वयं साक्षी तथा दूसरे उसके साथ डा० प्राचीपाल, न्यू पी.ए.सी. भोवापुर, गाजियाबाद थी। यह मृत्यु पश्चात् शव विच्छेदन आख्या प्रपत्र नं० 1225/22 साक्षी के द्वारा, साक्षी के हस्तलेख में तैयार किया गया है, जिस पर साक्षी का नाम लिखा है, पद नाम की मोहर लगी है। साक्षी के अंग्रेजी में हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने पत्रावली में मौजूद शव विच्छेदन रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर व लेख व पद की मुहर की शिनाख्त कर, <u>प्रदर्श क–2</u> के रूप में साबित की गयी है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.7 एस.आई.भरत सिंह परिहार**, ने सशपथ बयान किया है कि दिनांक–18–08–2022 को थाना मोदीनगर, में बतौर उपनिरीक्षक चौकी इन्चार्ज कादराबाद तैनात था, उस दौरान वादी मुकदमा इमरान पुत्र ताहिर, नि० ग्राम रोरी, थाना मोदीनगर के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर दर्ज मु.अ.सं.534/22 अन्तर्गत

WWW.LIVELAW.IN

धारा–363 भा.द.सं., की प्रारम्भिक विवेचना साक्षी के सुपुर्द हुई थी, जिसमें दिनांक–19–08–2022 को सी.डी.I किता की गयी, नकल चिक , नकल रपट, बयान वादी मुकदमा, बयान गवाहान साक्षीगण सतपाल पुत्र मामाचन्द ,राजेन्द्र पुत्र सरकार निवासीगण ग्राम रोरी थाल, थाना–मोदीनगर , के अंकित किये, वादी की निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार किया गया, साक्षी ने पत्रावली में दाखिल नक्शा नजरी स्वयं के हस्तलेख में होना कहते हुए तश्दीक कर, **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है तथा बयान गवाहान अनुज पुत्र प्रकाश व आसिफ पुत्र शौकीन अंकित करना व पीड़िता शिफा की बरामदगी स्थल का निरीक्षण कर, नक्शा नजरी स्वयं के हस्तलेख में तैयार करना कहा है जिसे साक्षी ने **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है। साक्षी आगे यह भी कथन किया है कि अभियुक्त कपिल को शाहजहाँपुर जाने वाले टी.पौइंट से अन्य पुलिस टीम उ.नि.प्रशान्त कुमार गौतम, है० कॉ० हरकेश सिंह के सहयोग से गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के सम्बन्ध में गिरफ्तारी प्रपत्र स्वयं के हस्तलेख में तैयार किया। साक्षी ने उक्त गिरफ्तारी मीमो पत्रावली में प्रदर्श **क–5** के रूप में साबित किया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी०डब्लू० 8 उ.नि. प्रीत सिंह** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक–19–08–2022 को बतौर चौकी इन्चार्ज मोदी पोन,थाना मोदीनगर में कार्यरत थी । दिनांक–19–08–2022 प्रभारी नि० मोदीनगर, उ.नि. विजय कुमार यादव एवं पुलिस अधिकारीगण के, मु.अ.सं. 534/22 धारा–363 भा.द.स में अभियुक्त कपिल पुत्र मोहन के साथ उसके बताये गये स्थान ग्राम शाहजहाँपुर में श्रीमती शकुन्तला पत्नी ओमपाल के खेतों की तरफ ले गया जहाँ पर ईख के खेत के अन्दर करीब 20 कदम की दूरी पर मृतका आयु करीब 9 वर्ष के शव के पास पहुँचे। मृतका का शव अचेत अवस्था में पड़ा था, उसके शरीर के कपड़े अस्त–व्यस्त पड़े हुए थे, प्रभारी निरीक्षक के आदेश पर मृतका के शव का पंचायतनामे की कार्यवाही साक्षी के द्वारा की गयी, जिसमें मौके पर ही मृतका पुत्री इमरान का पंचायतनामा उसके परिजनों/पंचान–ताहिर, सलमान, सुरज, आशू, शौकीन की मौजूदगी में भरकर तैयार किया, साक्षी ने इस पर स्वयं का नाम व पदनाम तथा मोहर होना कहते हुए,हस्ताक्षर स्वयं के शिनाख्त कर **प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया। साक्षी ने यह भी कहा है कि पंचायतनामा की कार्यवाही के दौरान फील्ड यूनिट मौके पर आ गयी थी जिनके द्वारा मृतका के दाहिने हाथ की मुट्ठी में बन्द बालों को लेकर माल परीक्षण हेतु सील सर्वे मोहर कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा घटना स्थल से ही 2 जोड़ी चप्पल, साइकिल एवं मिट्टी ली गयी थी। मृतका के शरीर पर, गले पर काला निशान था,तथा नाक से दाना निकला हुआ था।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.9 निरीक्षक योगेन्द्र कुमार** की साक्ष्य में आया है कि दि.19–08–2022 को एक मुकदमा अ.सं. 534/2022 धारा–363 भा.द.स. में पंजीकृत होकर विवेचना पूर्व विवेचक उपनिरीक्षक भरत सिंह परिहार के सुपुर्द की गयी, उक्त मुकदमे में धारा–302,376AB भा.द.सं. की वृद्धि होने पर विवेचना साक्षी के द्वारा ग्रहण की गयी। दिनांक–19–08–2002 को सी.डी.नं.2 किता की गयी। पूर्व विवेचना का अवलोकन किया व तस्करा पूछताछ अभियुक्त से, की गयी अभियुक्त द्वारा बतायी गयी निशानदेही पर एक नक्शा नजरी मृतका/पीड़िता का शव बरामद किया, मृतका के दाहिने हाथ की मुट्ठी में कुछ बाल थे जो फील्ड यूनिट के द्वारा कब्जा में लिये गये। साक्षी ने न्यायालय के समक्ष खोले गये माल पुलन्दा में से निकले सफेद लिफाफा को वस्तु प्रदर्श–1के रूप में तथा एक अन्य लिफाफा घटना स्थल से ली गयी मिट्टी

WWW.LIVELAW.IN

को वस्तु प्रदर्श–2 के रूप में, एक अन्य सफेद लिफाफा एनल स्वाव वस्तु प्रदर्श–3, एक अन्य लिफाफा वैजाइनल स्लाइड वस्तु प्रदर्श–4, एक अन्य लिफाफा ओरल स्वाव व नमूना वस्तु प्रदर्श–5,एक अन्य लिफाफा अभियुक्त कपिल से प्राप्त ब्लड नमूना वस्तु प्रदर्श–6,एक अन्य सफेद लिफाफा अभियुक्त से प्राप्त प्यूबिकहेयर वस्तु प्रदर्श–7,एक अन्य लिफाफा अभियुक्त से प्राप्त नेल स्क्रेनिंग वस्तु प्रदर्श–8, एक अन्य सफदे लिफाफा मृतका से प्राप्त स्वैव नमूना वस्तु प्रदर्श–9,एक अन्य लिफाफा अभियुक्त से प्राप्त स्कैल्प हेयर वस्तु प्रदर्श–10 के रूप में साक्षी ने साबित किये हैं।

साक्षी पी.डव्लू. 9 ने आगे अपनी साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष खोले गये एक अन्य लिफाफे से प्राप्त स्मेग्मा व पेनिस स्वेव को वस्तु प्रदर्श क–11, एक अन्य सफेद लिफाफे से निकला मृतका से प्राप्त एक एनल स्वैव स्लाइड का पेयर नमूना वस्तु प्रदर्श–12, एक अन्य सफेद लिफाफा अभियुक्त से प्राप्त ड्राइ ग्लास पेनिस स्लाइड वस्तु प्रदर्श–13, एक अन्य लिफाफे से निकले ओरल स्वाव को वस्तु प्रदर्श–14 के रूप में साबित किये। इसके अलावा एक पीले बड़े लिफाफे को न्यायालय के समक्ष खोले जाने से उसमें निकले अभियुक्त के कपड़े नीले रंग का लोअर, एक अण्डरवीयर महरून कलर का, एक टी शर्ट नीले व महरून कलर, एक बनियान स्काई ब्लू,लिफाफे को वस्तु प्रदर्श–15 के रूप में तथा एक अन्य पुलन्दा से मृतका के घटना के समय पहने कपड़े निकले जिसमें एक पाजामी, एक टॉप व घास के टुकड़े घटना स्थल से लिये, वस्तु प्रदर्श–16, मृतका के कपड़े व अन्य सामान जिस पोटली सफेद मारखीन में रखे थे, व ह वस्तु प्रदर्श–17 व एटलस कम्पनी की साइकिल काले रंग की जो घटना के समय अभियुक्त के पास थी व अभियुक्त की निशानदेही पर कब्जे में ली गयी थी, को वस्तु प्रदर्श–8 के रूप में न्यायालय के समक्ष साबित किये। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटना में प्रयुक्त उक्त वस्तुओं के सम्बन्ध में फर्द लेने के कब्जे साक्षी द्वारा अभियुक्त कपिल व मुकदमा वादी व दो अन्य व्यक्ति फुरकान व ताहिर की मौजूदगी में तैयार की थी, जो सहयोगी विवेचक द्वारा बोले जाने पर तैयार की थी। उक्त फर्द साक्षी ने पत्रावली में **प्रदर्श क–7** के रूप में साबित की है तथा घटना स्थल से ली गयी **मिट्टी की फर्द प्रदर्श क–8** के रूप साबित की है तथा इन पर अपने हस्ताक्षर शिनाख्त किये है।

साक्षी पी.डव्लू.9 ने आगे अपनी साक्ष्य में, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर, नक्शा नजरी तैयार किया जाना कहा है तथा इस पर अपने हस्ताक्षर शिनाख्त कर **प्रदर्श क–9** के रूप में साबित की है तथा साक्षी ने इस केस में पुलिस टीम के साथ काम कर रही फील्ड यूनिट द्वारा एफ.एस.एल. उत्तर प्रदेश के लिए प्रपत्र तैयार किया गया,पर अपने हस्ताक्षर शिनाख्त कर प्रदर्श **क–10** के रूप में साबित किया है। साक्षी ने मृतका के शव बरामदगी स्थल से प्राप्त मिट्टी के सम्बन्ध में तैयार **फर्द प्रदर्श क–8** पर भी अपने हस्ताक्षर शिनाख्त किये, साक्षी ने सी.डी. नं.4 में पीडिता के बयान अंकित करना व पीड़िता के साथ रही कु. सारिका पुत्री शकील, शिफा पुत्री इमरान, जोधा पुत्री फुरकान के बयान भी अंकित करना कहा है। साक्षी ने अन्य विवेचना का विवरण देते हुए यह भी कथन किया है कि दिनांक–18–08–2022 घटना वाले दिन की फुटेज चैक करते हुए अभियुक्त द्वारा पीड़िता/मृतका को घटना वाले दिन साइकिल पर बैठाकर ले जाता हुआ दिखायी दे रहा है, जिसके सम्बन्ध में एक अदद पैन ड्राइव सम्बन्धित घटना सी.सी.टी. वी फुटेज, 65 बी. का प्रमाण–पत्र लिया जो पत्रावली में दाखिल है, साक्षी ने उक्त प्रमाण–पत्र **प्रदर्श क–11** के रूप में साबित किया है। सम्बन्धित पैन ड्राइव पत्रावली में वस्तु प्रदर्श–19 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने अभियुक्त कपिल पुत्र मोहन के विरूद्ध धारा–363, 376AB ,

WWW.LIVELAW.IN

302,323 भा.द.सं. व धारा–5/6 पॉक्सो अधि. का अपराध साबित होना पाते हुए आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित करना कहा है तथा साक्षी ने उक्त आरोप–पत्र पत्रावली में **प्रदर्श क–12** के रूप में साबित किया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी.डब्लू.10 शिफा पुत्री इमरान** आयु–10 वर्ष, ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि, '' मेरे पापा का नाम इमरान है, हम तीन बहनें थी, परन्तु अब दो हैं। क्योंकि मेरी एक छोटी बहन सानिया जो मेरे साथ कक्षा–4 में पढती थी दिनांक–18–08–2022 को हम अपने घर के सामने, मैं व मेरी बहन मृतका व मेरे मामा की लड़की शिफा व एक अन्य जोधा और एक समरजहाँ थे, करीब 6.00 बजे शाम को हमारे ही गाँव में रहने वाला हाजिर अदालत अभियुक्त कपिल काले रंग की साइकिल लेकर आया और मेरी बहन मृतका व मेरे मामा की लड़की शिफा को साइकिल पर बैठाकर घुमाने के लिए ले गया। मैंने बोला था कि मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो, वह जबरदस्ती ले गया और यह बोला कि तुम्हें घुमाने भी बाद में ले चलूँगा। लेकिन वह फिर वापस नहीं आया और बाद में पता चला कि मेरी बहन का गला घोंट कर कपिल ने मार दिया है। ''

अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी.डब्लू.11 डा० अनिल यादव,** जिला संयुक्त चिकित्सालय, गाजियाबाद ने सशपथ बयान किया है कि दि. 22–08–2022 को साक्षी ने 5.55 बजे महिला काँ० 1120 प्रेरणा के द्वारा थाना मोदीनगर से लायी गयी पीड़िता शिफा आयु 6 वर्ष पुत्री शकील नि० रोरी, का बाह्य परीक्षण किया था,साक्षी ने पीड़िता के शरीर पर पायी गयी चोटों का विवरण दिया है जिसमें निम्न चार चोटें पाया गयीं–

1– Brown scab screatch abrasion on of size 14X0.1cm and 13x0.1cm present over rt. upper buelce going dawnward over one thigh buelce region. Both abrasionrun parelled to each other.

2– Brown scab screatch abrasion of size 05X0.1 cm is present over buelce of rt. mid thigh.

3– Brown scab screatch abrasion,crescertic in shape present over bone of Lt.side of neck placed 3.5cm Lt. to mid in –resembleng nail screatch marks.

4– Brown scab screatch abrasion,crescertic in shape present in an area of 9x4 cm over mid from part of neck ranging from o2x0.1 cm to 02.5x0.1 cm each resembleng nail screatch marks.

साक्षी ने यह भी कहा है कि चोटों की दशा 4–5 दिन के बीच की थी। ये चोटें नाखूनों की खरोंच के कारण आयीं थी। साक्षी ने मेडिकल रिपोर्ट स्वयं हस्तलेख में तैयार की थी, जिस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर, पदनाम मोहर, शिनाख्त कर **प्रदर्श क–13** के रूप में साबित किया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी.डब्लू.12 कॉ० 1211 लकीपाल सिंह** ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक–19–08–2022 को थाना–मोदीनगर में वादी इमरान पुत्र ताहिर द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर है० काँ.अमित कुमार के शब्द व शब्द बोलने पर एक कम्प्यूट्रीकृत चिक मु.अ.स.534/ 2022 अन्तर्गत धारा–363 भा.द.सं.काटी गयी, जिसे साक्षी ने

WWW.LIVELAW.IN

पत्रावली में **प्रदर्श क–14 के** रूप में साबित किया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी.डव्लू. 13 एच.सी.713 अमित कुमार** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वादी इमरान पुत्र ताहिर ग्राम रोडी, थाना–मोदीनगर द्वारा दी गयी हस्तलिखित तहरीर के आधार पर साक्षी के द्वारा तहरीर शब्द व शब्द बोलकर काँ० क्लर्क लकीपाल सिंह को सुनायी गयी जिसके आधार पर नकल चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–14 काटी गयी व उक्त मुकदमे का खुलासा साक्षी के द्वारा कम्प्यूट्रीकृत जी.डी. समय 006/4–5 बजे दिनांक–19–08–2022 को किया गया, साक्षी ने उक्त नकल **जी.डी. पत्रावली में प्रदर्श क–15** के रूप में साबित की है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी.डव्लू.14 श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी नंद किशोर** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह कम्पोजिट विद्यालय ग्राम रोरी मोदीनगर, पूर्व नाम प्राथमिक विद्यालय रोरी, मोदीनगर में वर्ष 2000 से प्रधानाध्यपक/इन्चार्ज अध्यापक के पद पर कार्यरत है, उक्त केस की मृतका पुत्री इमरान व रेशमा निवासी ग्राम रोरी, हमारे कम्पोजिट विद्यालय रोरी में दिनांक–15–04–2019 में विद्यालय में प्रवेश पंजीकरण फार्म संलग्न–1 मृतका/विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर व उसमें सभी औपचारिकता पूरी करते हुए, हमारे विद्यालय में प्रवेश लिया था। मृतका/विद्यार्थी की जन्म तिथि हमारे विद्यालय के एस.आर. रजिस्टर में क्रम सं.1 प्रवेशांक 3420 नम्बर अंकित है, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि प्रवेश के समय दिनांक– 8–04–2011 बतायी गयी किन्तु बाद में आधार कार्ड के आधार पर **संशोधित जन्म तिथि 29–05–2014** पीड़िता की माता रेशमा द्वारा अंकित करायी गयी। विद्यार्थी हमारे विद्यालय में दिनांक माह–8–22 को अंतिम बार आयी थी, उसके बाद विद्यालय में न आने के कारण दिनांक–20–08–2022 को नाम काट दिया गया । साक्षी ने यह भी कथन किया कि मृतका के प्रवेशपत्र की मूल प्रति न्यायालय में अपने साथ लेकर आयी है और छाया प्रति स्वयं प्रमाणित कर न्यायालय में दाखिल कर रही है, उक्त प्रपत्र साक्षी ने **प्रदर्श क–16** के रूप में साबित किया है। इसी प्रकार साक्षी ने एस०आर०रजिस्ट्रर की छाया प्रति न्यायालय में दाखिल की है व स्वयं प्रमाणित कर, पत्रावली में **प्रदर्श क–17** के रूप में साबित कर, दाखिल की है।

8– मैने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

9– अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) की ओर से यह बहस की गयी है कि अभियुक्त द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा की 9 वर्षीय पुत्री (पीड़िता)/मृतका एवं छः वर्षीय भान्जी पीड़िता का उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से संरक्षक की सहमति के बिना बहकाकर, साइकिल पर बैठा कर, ले जाकर व्यपहरण कर लिया तथा उसके 9 वर्षीय मृतका के साथ जबरदस्ती बलात्संग/गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कर, गम्भीर अपराध कारित किया,इस दौरान पीड़िता के चीखने अथवा रोने पर पीड़िता का मुँह भींच कर, गला घोंट कर उसकी हत्या कारित कर दी गयी। वादी की भान्जी शिफा अभियुक्त की पकड़ से भागने में सफल रही, जिसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया चोटें पहुँचायीं । उपरोक्त अभियोजन कथानक को अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षियों, पीड़िता पी.डव्लू.2 की साक्ष्य से एवं चिकित्सीय साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त, सन्देह से परे साबित किया है।

WWW.LIVELAW.IN

अतः अभियुक्त को धारा **धारा– 363,376AB,302,323 भा0 दं0 सं0 एवं धारा– 5/6 पोक्सो एक्ट** के आरोप में दोषसिद्ध कर कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

10– दूसरी ओर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास हैं, प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप किसी प्रकार भी साक्षीगण की साक्ष्य से साबित नहीं होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर ही, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र दाखिल कर दिया गया है, जबकि उसको अपराध कारित करते हुए न तो देखा गया है और न ही उसको पीड़िता एवं मृतका को व्यपहरण कर ले जाया गया है। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित करने में अभियोजन पूर्णतः विफल रहा है। अतः अभियुक्त को उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाये।

11– इस प्रकरण में अभियुक्त कपिल के विरूद्ध धारा **363,302,376AB, 323 भा0 दं0 सं0 एवं एवं 5/6 पोक्सो एक्ट,** के अंतर्गत इस आशय का आरोप विरचित किया गया है कि आप अभियुक्त दि0 18–08–2022 को समय, शाम के लगभग 6.30–7.00 बजे सायं,स्थान ग्राम रोरी थाना–मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद की सीमा में वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री आयु लगभग 9 वर्ष व वादी मुकदमा की भान्जी/पीड़िता आयु लगभग 6 वर्ष को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता में से बिना संरक्षक की अनुमति के बहला–फुसला कर व्यपहरण कर ले गये, और ग्राम शाहजहाँपुर के जंगल में शंकुतला के ईख के खेत में ले जाकर आप अभियुक्त ने पीड़िता 9 वर्ष के साथ जबरदस्ती बलात्कार (गुरूतर लैंगिक हमला)किया तथा 9 वर्षीय पीड़िता द्वारा विरोध किये जाने पर उसके साथ स्वेछ्या मारपीट कर उपहति कारित की तथा जबरदस्ती बलात्कार करने पर 9 वर्षीय पीड़िता की चीख निकलने पर आप अभियुक्त ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

12– अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363 भा0 दं0 सं0 एवं धारा **5 /6 पोक्सो एक्ट** के आरोपों को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से सर्वप्रथम यह तथ्य साबित किया जाना आवश्यक है कि घटना के समय मृतका की आयु 12 वर्ष से कम थी। इस सम्बन्ध में मृतका के पिता इमरान द्वारा लिखायी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लिखित किया गया है कि,दिनांक–18–08–2022 को सायं लगभग 7.00 बजे उसकी पुत्री (मृतका) उम्र लगभग 9 वर्ष एवं भान्जी पीड़िता उम्र लगभग 6 वर्ष, घर के बाहर खेल रही थी, उसके गाँव का ही कपिल पुत्र मोहन उम्र लगभग 25 साल बहला फुलसला कर साइकिल पर बैठाकर जंगल की तरफ ले गया, 9.30 बजे शिफा शमशान घाट के पास बखरवा के पास मिली, वादी की पुत्री घर वापस नहीं आयी है। उसने तथा गाँव वालों ने मिलकर काफी खोज की लेकिन पुत्री का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका।

वादी साक्षी पी.डव्लू.1 ने न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने सशपथ बयान में भी अपनी पुत्री की आयु 9 वर्ष एवं भान्जी पीड़िता की आयु 6 वर्ष बतायी है। मृतका की आयु के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से पी.डव्लू.14 श्रीमती कृष्णा कुमारी, प्रधानाचार्य को परीक्षित कराया गया है। जिसने मुख्य परीक्षा में कम्पोजिट विद्यालय ग्राम रोरी मोदीनगर, पूर्व नाम प्राथमिक विद्यालय रोरी, मोदीनगर में वर्ष 2000 से प्रधानाध्यपक/इन्चार्ज अध्यापक के पद पर कार्यरत होना कहते हुए, मृतका पुत्री इमरान व रेशमा निवासी ग्राम रोरी, को अपने कम्पोजिट विद्यालय रोरी में दिनांक–15–

WWW.LIVELAW.IN

04–2019 में विद्यालय में प्रवेश पंजीकरण फार्म संलग्न–1 मृतका/विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर व उसमें सभी औपचारिकता पूरी करते हुए, हमारे विद्यालय में प्रवेश लेने कहा है तथा मृतका/विद्यार्थी की जन्म तिथि विद्यालय के एस.आर. रजिस्टर में क्रम सं.1 प्रवेशांक 3420 नम्बर अंकित के अनुसार, प्रवेश के समय दिनांक– 8–04–2011 बतायी जाना किन्तु बाद में आधार कार्ड के आधार पर संशोधित जन्म तिथि पीड़िता की माता रेशमा द्वारा दिनांक–29–05–2014 अंकित कराया जाना कहा है। साक्षी ने यह भी कहा है कि विद्यालय में न आने के कारण दिनांक–20–08–2022 को नाम काट दिया गया । साक्षी ने मृतका की आयु के सम्बन्ध में मृतका के प्रवेशपत्र की मूल प्रति न्यायालय में अपने साथ लेकर आना कहते हुए, छाया प्रति स्वयं प्रमाणित कर न्यायालय में दाखिल कर रही है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–16 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने एस०आर०रजिस्ट्रर की छाया प्रति न्यायालय में दाखिल की है व स्वयं प्रमाणित कर, पत्रावली में प्रदर्श क–17 के रूप में साबित की है।

इस साक्षी से अभियुक्त/बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी है किन्तु साक्षी ने मुख्य परीक्षा से भिन्न तथ्य नहीं कहे हैं।

इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य एवं प्रपत्र प्रदर्श क–16 एवं प्रदर्श क–17 के आधार पर,पीड़िता/मृतका की जन्म तिथि 29–05–2014 मानी जाती है। इस प्रकरण की घटना दिनांक–18–08–2022 की है, इस प्रकार मृतका की आयु घटना के समय आठ साल तीन माह के लगभग है।

मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–36 के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतका की ऊँचाई 123 सेमी अंकित है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क–16 एवं प्रदर्श क–17 से पीड़िता की जन्म तिथि 29–05–2014 मानते हुए घटना के दिनांक तक पीड़िता की आयु लगभग 8 वर्ष 3 माह की होती है, अर्थात 12 वर्ष से कम थी।

13– अब प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त कपिल द्वारा पीड़िता एवं मृतका का उसके विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से, व्यपहृत किया गया तथा मृतका के साथ बलात्संग कारित कर उसकी गला घोंट कर, कर दी गयी तथा मृतका के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?

14– उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अभियोजन साक्ष्य की संवीक्षा की जानी है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित पी.डब्लू.1 इमरान घटना का वादी और मृतका का पिता है । साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में घटना दिनांक–18–08–2022 की बताते हुए अपनी पुत्री आयु 9 वर्ष एवं भान्जी शिफा आयु –6 वर्ष को साइकिल पर बैठाकर अभियुक्त कपिल द्वारा बहला फुसला ले जाने का साक्ष्य दिया है तथा अभियुक्त द्वारा दोनों लड़कियों को साइकिल पर बैठाकर ले जाते हुए, साक्षी सतपाल एवं राजेन्द्र द्वारा देखे जाने का भी कथन है।

इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी है और जिरह में इस साक्षी कहा है कि, वह बेलदारी का काम करता है, कपिल भी मजदूरी बेलदारी का काम करता है, उसने कपिल के साथ काम नहीं किया है, उसके घर से तीन कि.मी. की दूरी पर कपिल रहता है, उसे वह मौहल्ले के नाते जानता है, ... वह हाजिर अदालत मुल्जिम को 5 साल से जानता है, कपिल उसके घर आता–जाता था। उसके घर के सभी लोग कपिल को जानते थे। वह मजदूरी से 5.30–

WWW.LIVELAW.IN

6.00 बजे लौट आता था, उसे जहाँ भी मजदूरी मिल जाती वहीं मजदूरी करने चला जाता था। वह गाँव से बाहर भी मजदूरी करने चला जाता है। वह मजदूरी करने गाँव से बाहर जाता था, हफ्ते भर व 10 दिन के लिए बाहर चला जाता था। .....मृतका 9 साल की है, उसके कपिल से पारवारिक सम्बन्ध नहीं है, बड़े जमीदार के यहाँ नौकरी करते थे। टयूबवैल की चाबी लेने आता था।.....वह कक्षा –7 तक पढा हूँ, सातवीं पढा इन्सान अपने बच्चे की जन्म तिथि बता सकता है। सानिया अस्पताल में पैदा हुई। सानिया परमेश्वरी अस्पताल में पैदा हुई थी, जो गोविन्दपुरम चौकी पर स्थित है, मुझे किसी ने बताया था, गाँव के लोगों ने बताया था, स्वयं कोई घटना साइकिल पर ले जाने वाली नहीं देखी थी। उसे लोगों के कहने पर पता चला था। फिर कहा कि मेरी बेटी ने भी बताया था। घटना वाले दिन मेरी पत्नी ने बच्चों के गायब होने की बात उसे बतायी थी, फिर उसने व उसके परिवार वालों ने बच्चों को तलाश करना शुरू कर दिया था। कपिल लड़कियों को बैठाकर ले गया है, यह बात मेरी पत्नी ने बतायी थी। उसका घर 70 गज में है, उसके घर में तीन कमरे व एक गैलरी है, जहाँ शिफा व मृतका खेल रहीं थी। ट्रांसफार्मर 20–25 कदम की दूरी पर है। शिफा रोज हमारे घर उर्दू पढने मेरी पत्नी से आती थी। हमने सबसे पहले जंगल में ढूढा था, गाँव के बहुत सारे लोग थे, जंगल में खेतों में ईख थी वह काफी बड़ी हो रही थी, लड़कियां उसे नहीं मिली । रात 11–12 बज गये थे, हम सभी लोग अपने–अपने घर आ गये, फिर उसने सूचना 112 नम्बर पर दी थी। उसने अपने फोन से पुलिस को सूचना दी थी, मेरी एफ.आई.आर. फोन पर लिख ली थी, प्रदर्श क–1 देखकर साक्षी ने कहा कि यह एफ.आई.आर. बाद में लिखवायी थी, उसके हाथ की लिखी हुई है। मृतका पोस्टमार्टम 19–08–2022 को हुआ था, पोस्टमार्टम के लिए वह गया था, उसका साला गया था, पुलिस वाले साथ गये थे, मृतका का शव उसके सुपुर्द किया गया था। सुपुर्दगीनामे पर उसके हस्ताक्षर कराये थे,फिर कहा कि सुपुर्दगी नामे पर उसके व उसके साले के हस्ताक्षर कराये थे। तहरीर लिखी थी। शिफा ने बताया था कि खेतों में लाश पड़ी है। दिनांक–18–09–2018 को रात्रि में बताया था। शिफा ही उसे लेकर गयी थी। यह बात सही है कि उसने सूचना 112 नम्बर पर दी थी, उसने बच्चों को ले जाते हुए नहीं देखा।

साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को गलत बताया कि वह न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हो।

इस साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह साक्षी यद्यपि घटना लड़कियों के ले जाने के समय का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, तथापि इसकी साक्ष्य में शिफा द्वारा तथा अपनी पत्नी व आम लोगों द्वारा घटना बताये जाने का कथन किया है तथा साक्षी ने पहले 112 नम्बर पर सूचना देना एवं बाद में तहरीर लिखकर एफ.आई.आर. दर्ज कराया जाना भी साबित किया है। इस प्रकार तहरीर में उल्लखित तथ्यों के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय है तथा जिरह में कोई गम्भीर विसंगति उत्पन्न नहीं हुई है। अतः यह साक्षी पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी है।

15– अभियोजन की ओर से परीक्षित पी.डव्लू.2 पीड़िता पुत्री शकील, चक्षुदर्शी साक्षी एवं स्वयं पीड़िता है, इसका मानसिक परीक्षण कर, न्यायालय द्वारा बयान दर्ज किया गया है और साक्षी ने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है, साक्षी ने सशपथ बयान किया कि, (मृतका)शिफा की बहन है, मृतका मर चुकी है, मृतका को कपिल ने मारा। मैं मृतका के साथ शाम के 6.00 बजे थी, हम दोनों को कपिल साइकिल पर बैठा कर ईख में ले गया वहाँ उसने मेरा गला घोंटा, मृतका का गला

WWW.LIVELAW.IN

भी घोंटा फिर उसके ऊपर लेट गया, मृतका मर गयी, फिर कपिल कहीं चला गया। मैंने अपनी नानी को आकर बताया था।

बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तृत जिरह की गयी है जिसमें इस साक्षी ने अपनी दिनचर्या, नाना–नानी के साथ रहना, ट्यूशन जाना, टी.वी. देखना आदि बताया है। आगे इस साक्षी ने यह भी कहा है कि, मुझे गाड़ी, रिक्शा, बाइक व साइकिल पर घूमना अच्छा नहीं लगता है, मैं मोटर साइकिल पर बैठी हूँ, मैं सारिका के साथ साइकिल पर नहीं बैठी न कभी सानिया के साथ साइकिल पर बैठी, मैं कभी अकेले कहीं नहं जाती, हमेशा नाना, नानी, मम्मी पापा के साथ ही जाती हूँ, सानिया जब बरामद हुई, तब मैं इसके साथ नहीं थी, मैं जया, शिफा व सानिया घर के बाहर खेले थे, ...मैं कभी सानिया के साथ घूने फिरने नहीं गयी, मैं किसी ओर के साथ भी घूमने नहीं गयी, मैं गाँव के आदमी को पहचानती हूँ, मैं त्यौहार आदि जानती हूँ, मैं किसी को काट कर नहीं भागी थी, मैंने किसी को हाथ पर नहीं काटा था, वह बैड मैनर्स होते हैं, मैं कभी सानिया के साथ कभी नहीं गयी।

इस साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कपिल का साइकिल पर बैठा कर स्वयं एवं मृतका को ईख के खेत में ले जाना कहा है, प्रतिपरीक्षा में आये तथ्यों से मुख्य परीक्षा के तथ्य पूर्णतः विरोधाभासी नहीं है। यह साक्षी पीड़ित साक्षी है तथा इसका साक्ष्य पूर्णतया सुसंगत एवं विश्वसनीय है। साक्षी ने जिरह में जो बयान दिया है कि वह उसके मुख्य परीक्षा के बयान को विश्वसनीय बनाते हैं। जिरह के बयानों से ऐसा स्पष्ट नहीं होता कि अभियुक्त कपिल इस साक्षी व मृतका को अपने साथ न ले गया हो।

16– पी.डव्लू.3 सतपाल भी घटना का महत्वपूर्ण साक्षी है और मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, घटना दिनांक–18–08–2022 समय करीब 6.30 बजे की बात है, वह शाहजहाँपुर वाले रास्ते पर लैट्रिन कर रहा था। एक लड़की आगे थी और एक पीछे बैठा रखी थी, साइकिल थी, जिसमें शाबिर की धेवती थी, एक ताहिर की पोती थी। **कपिल बैठाकर ले जा रहा था। साक्षी को देखते ही उसने साइकिल गाँव की तरफ मोड़ ली।**

इस साक्षी से भी बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत जिरह की गयी है, साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह बेलदारी का काम करता है, ... घटना वाले दिन मैं लैट्रिन करने गया था, मैं शाहजहाँ पुर वाले रास्ते पर ट्यूववैल से सीधे खेत में लैट्रिन करने गया था, मैं लैट्रिन करने साढे 5.30 बजे गया था, खेत खाली था, जहाँ पर बैठा था वो खाली खेत था, मैं टीले पर बैठा था। .....मैं रोरी गाँव का ही रहने वाला हूँ। यह बात सही है कि मैं गाँव के सभी लोगों को जानता हूँ, मेरी वहीं की पैदाइश भी वहीं की है, मैं गाँव के सभी के यहाँ आना–जाना है, तीज त्यौहार व ब्याह में शादी में आना–जाना है, इसके बावजूद मैं सानिया के पिताजी को नहीं जानता हूँ, **मैं जब शौच कर रहा था तो मैं 2 लड़कियाँ व कपिल को देखा था, खेतों के झुरमुट में देखा था, मैंने दोनों लड़कियों को ले जते हुए कपिल को साइकिल पर जाते हुए देखा था। कपिल व दो लड़कियां शाहजहाँ पुर गाँव की तरफ जा रहे थे, मैं लैट्रिन कर रहा था, कपिल चलता हुआ जा रहा था, वो मुझे देखते ही गाँव की तरफ मुड़ गया था, फिर उसे पता नहीं वह कहाँ चला गया था**, 35–40 मीटर की दूरी से देखा। मैंने कोई घटना होते हुए नहीं देखी। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि वह न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हो।

इस साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस साक्षी मुख्य परीक्षा के समान ही प्रतिपरीक्षा में भी

WWW.LIVELAW.IN

इस तथ्य की पुष्टि की है कि घटना वाले दिन अभियुक्त कपिल को साइकिल पर दो लड़कियाँ को बैठाकर ले जाते हुए देखा था, अर्थात घटना से ठीक पूर्व अन्तिम बार पीड़िता/मृतका को इस साक्षी ने कपिल के साथ देखा था।

17– अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी.डब्लू 4 आसिफ उर्फ आशू** पुत्र शौकीन पंचायतनामा का साक्षी है, यद्यपि यह साक्षी पीड़िता एवं मृतका को व्यपहरण किये जाने के समय का साक्षी नहीं है किन्तु इस साक्षी ने परिवार के साथ एवं अपने बहनोई इमरान के साथ लड़को ढूढने का कथन किया है, तथा यह भी कथन किया है कि दो घन्टे हमने पुलिस के साथ मिलकर ढूढा था, फिर कपिल मिल गया था, कपिल को पकड़ कर चौकी ले आये थे, कपिल ने मृतका को मार दिया व ईख के खेत में पड़ी है, कपिल ने इस साक्षी के सामने बताया था कि मुँह भींचकर गला घोंट कर मारा है, कपिल को मौके पर ले जाया गया, लड़की को बरामद किया और फिर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले गये थे, पुलिस ने पूछताछ कर, उसके बयान दर्ज किये थे। इस प्रकार यह साक्षी घटना के परवर्ती तथ्यों का एवं पंचायतनामा का साक्षी है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर इस साक्षी कहा है कि यह बात सही है कि मृतका व शिफा को कपिल के साथ साइकिल पर ले जाते हुए नहीं देखा था, उसका गाँव रोरी से 3 कि.मी.दूर है। वह 7 मिनट पर रोरी गाँव आ गया था, वह बाइक से रोरी आया था, उसकी दीदी का फोन दिनांक–18–08–2022 को 9.30 रात में उसके पास आया था, शिफा उसे नहीं मिली, गाँव वालों को मिली होगी, गाँव वालों ने ही उसे बताया था, पोस्टमार्टम में कहा गया था। वह गाजियाबाद में गया था, वह और उसके बहनोई इमरान पोस्टमार्टम कराने गये थे और कोई नहीं गया था, पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए लाश हमें सौंप दी थी। मैंने कपिल को कोई घटना कारित करते नहीं देखा।

18– इस प्रकार इस साक्षी से केवल पंचायतनाम एवं पोस्टमार्टम होने व पोस्टमार्टम के बाद मृतका का शव सुपुर्दगी में दिये जाने का साक्ष्य ही दिया गया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य का अन्य **साक्षी पी.डब्लू.5 राजेन्द्र** का साक्ष्य भी महत्वपूर्ण है और इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में शाहजहाँपुर रास्ते पर जहाँ उसका टयूववैल है, और वह घर की तरफ आने के लिए सतीश का इन्तजार कर रहा था, तब उसने कपिल को साइकिल पर इमरान की बड़ी बेटी व छोटी लड़की शिफा साबिर की धेवती पीछे बैठा रखी थी, को देखना कहा है तथा कहा है कि वह शाँहजहापुर की तरफ चला तो उसे गाँव का सतपाल मिल गया, उसने अपनी साइकिल बखरवा की तरफ मोड़ ली।

इस साक्षी से भी बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी है, साक्षी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है, वह खेती का काम करता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं करता है। उसका खेत शाहजहाँपुर की ओर जो रास्ता जा रहा है, वही पर मेरा चक था। मेरे खेत में गन्ने की फसल थी। गन्ना मई के महीने में बोई थी। हमारे पेड्डी, बुहेर थी, इसके अलावा कुछ नहीं बोता है। घटना दिनांक–18–08–2022 की है, बलात्कार करते हुए नहीं देखा न ही मारते हुए देखा। उसका बयान 18–08–2022 को लिया था, इमरान के घर लिया था। 8–10 लोगों के बीच में बयान लिया था, मैं अपने खेत 4.00 बजे गया था, पानी करा था, खेत में एक सवा घन्टे तक पानी करा था।

साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि वह न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हो। मुझे बड़ी लड़का का नाम पता नहीं है वह इमरान की बेटी थी, मैं उसका नाम नहीं जनता हूँ और छोटी

WWW.LIVELAW.IN

लड़का का नाम नहीं जानता हूँ, मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ मुझे साफ दिखायी देता है। कपिल मेरे दो घर छोड़कर ही रहता है, ...

साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया वह सही बात न बता रहा हो। साक्षी ने यह भी कहा है कि सफेद बनियान पहने हुए था। लोअर भी पहन रखा था।

इस साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने लड़कियों मृतका व पीड़िता शिफा को कपिल के साथ साइकिल पर जाते हुए था और उस समय कपिल ने सफेद बनियान व लोअर पहन रखा था।

इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य अभियुक्त कपिल द्वारा लड़कियों को व्यपहरण कर ले जाते हुए देखने की महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय साक्ष्य है।

19– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डव्लू.10 शिफा पुत्र इमरान, मृतका की दस वर्षीय बहन है। साक्षी ने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि '' दिनांक–18–08–2022 को हम अपने घर के सामने, मैं व मेरी बहन मृतका व मेरे मामा की लड़की पीड़िता व एक अन्य जोधा और एक समरजहाँ थे, करीब 6.00 बजे शाम को हमारे ही गाँव में रहने वाला हाजिर अदालत अभियुक्त कपिल काले रंग की साइकिल लेकर आया और मेरी बहन मृतका व मेरे मामा की लड़की पीड़िता को साइकिल पर बैठाकर घुमाने के लिए ले गया। मैंने बोला था कि मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो, वह जबरदस्ती ले गया और यह बोला कि तुम्हें घुमाने भी बाद में ले चलूँगा। लेकिन वह फिर वापस नहीं आया और बाद में पता चला कि मेरी बहन का गला घोंट कर कपिल ने मार दिया है। ''

इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी है, जिरह में साक्षी ने कहा है कि कपिल को गाँव का होने की वजह से पहले से ही जानती हूँ, कपिल शादीशुदा है, लेकिन मैं यह नहीं जानती कि उसके बच्चे हैं या नहीं। .....मेरी बहन मृतका व मेरे मामा की लड़की पीड़िता कपिल के साथ जाने को तैयार नहीं थी, कपिल उन्हें जबरदस्ती खेतों की तरफ ले गया था। यह बात मैंने घर पर आकर अपने पिताजी को बता दी थी। मेरे मामा की लड़की पीड़िता को कोई लेकर आया था। यह कहना गलत है कि, उसके गाँव का कपिल उसकी बहन मृतका व उसकी ममेरी बहन पीड़िता को साइकिल पर बैठाकर जंगल की ओर न ले गया हो। यह कहना भी गलत बताया कि इस घटना की बावत उसने अपने पिताजी को न बताया हो।''

उपरोक्त तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि दिनांक–18–08–2022 को अभियुक्त कपिल वादी इमरान की 9 वर्षीया पुत्री मृतका एवं पीड़िता को साइकिल पर बैठाकर, व्यपहरण कर ले जाते हुए साक्षी पी.डव्लू.3 सतपाल एवं पी.डव्लू.5 राजेन्द्र एवं स्वयं शिफा पुत्री इमरान के द्वारा देखा गया।

20– अभियुक्त कपिल के पकड़े जाने व पूछताछ में बताये जाने के आधार पर अभियुक्त कपिल की निशानदेही पर, मृतका का शव शाँहजहापुर का जंगल ईख के खेत से दिनांक–19–08–2022 को बरामद होने तथा मृतका की हत्या होने के सम्बन्ध में पूर्वोक्त विवेचित साक्षी पी.डव्लू. 1 इमरान एवं पी.डव्लू.4 आसिफ उर्फ आशू एवं औपचारिक साक्षीगण का साक्ष्य महत्वपूर्ण है।

21– अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी.डव्लू.6 डा०विपिन चन्द्र उपाध्याय** ने अपने मुख्य परीक्षा में दिनांक–19–08–2022 को मृतका पुत्री इमरान गाँव रोरी कलाँ, थाना मोदीनगर का पोस्टमार्टम करना कहा है तथा मृतका को आयी चोटों का आन्तरिक एवं बाह्य चोटों का विवरण देते

WWW.LIVELAW.IN

हुए 7X4 से.मी की परिधि में मृतका की हाइमन झिल्ली फटी हुई थी तथा ब्लड उसके आस–पास मौजूद था, होना कहा है,तथा आन्तरिक परीक्षण में भी हाइमन झिल्ली फटा होना उसमें आसपास ब्लड मौजूद मौजूद होने का साक्ष्य दिया है तथा यह भी साक्ष्य दिया है कि, पीड़िता मृतका शरीर के कुछ नमूने–वैजानल स्मीयर, एक एनल स्वाव, एक ओरल स्वाव लिया गया तथा सील करके आये कॉस्टेबिल को दिया गया। साक्षी के अनुसार मृत्यु का सभावित समय तीन–चौथाई दिन का समय था मृत्यु का कारण गला घोटने के कारण हुआ एक्सीडिया है। पोस्टमार्टम के समय मृतका के शरीर पर पाये गये कपड़ो में एक पाजामा, एक टॉप तथा साथ हरी घास को सील करके साथ आये कॉस्टेबिल को दे दिये गये थे। साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 के रूप में साबित की है।

इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी है और जिरह में इस साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने प्रदर्श क–2 पोस्टमार्टम प्रपत्र स्वयं के हस्तलेख में अंकित किया है। उसके साथ शव विच्छेदन टीम में वह तथा डा० प्राचीपाल थी। डा० प्राचीपाल उससे सीनियर हैं या जूनियर वह नहीं बता सकता। हमने शव विच्छेदन 2.30 बजे शुरू किया व 45 मिनट में खत्म हो गया था, शव विच्छेदन के समय मृत्यु का आधा से एक दिन का समय रहा होगा । कपड़े जो शव विच्छेदन के समय पहने थे, वे कपड़े आज न्यायालय में मौजूद नहीं है, शव विच्छेदन करते समय सील के इनटैक्ट के बारे में कोई आख्या अंकित नहीं है, मृतका की मृत्यु गला घोंटने से प्रतीत होती है, यह कहना गलत है कि, वह आज झूठी गवाही दे रहा हो।

इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से मृतका के मृतका हाइमन झिल्ली का फटा होना व उसके आसपास रक्त का पाया जाना, मृतका के साथ बलात्कार होने की पुष्टि करता है तथा उसका गला घोंट कर, हत्या करने की भी पुष्टि होती है।

22– अभियोजन की ओर से परीक्षित पी०डब्लू० 7 एस.आई. भरत सिंह परिहार ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस मामले की प्रारम्भिक विवेचना करना कहा है तथा इस सम्बन्ध में अभियोजन प्रपत्रों नक्शा नजरी प्रदर्श क– 3,नक्शा नजरी शव बरामदगी स्थल प्रदर्श क–4 व अभियुक्त कपिल की गिरफतारी से सम्बन्धत प्रपत्र प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है।

इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी है और जिरह में साक्षी ने पर्चा –I दिनांक–19–08–2022 को किता किया जाना कहा । साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना स्थल पर मौजूद दो व्यक्ति सतपाल व राजेन्द्र के बयान मौके पर लिए थे, वादी की निशानदेही पर नक्शा नजरी दिनांक–19–08–2022 को बना दिया था। घटना स्थल पर बरामदगी स्थल पर उसने अनुज पुत्र प्रकाश, आसिफ पुत्र शौकीन के बयान अंकित किये। उसने दो नक्शा नजरी बनाये थे, एक उस जगह का जहाँ से अभियुक्त बच्चियों को लेकर गया था, दूसरा नक्शा नजरी जहाँ पर बच्ची जिंदा बरामदग हुई थी। अभियुक्त की गिरफतारी साक्षी के द्वारा की गयी। साक्षी के साथ उपनिरीक्षक प्रशान्त कुमार गौतम, है० कॉ० हरकेश सिंह ने गिरफतारी में साथ दिया था, साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि साक्षी नक्शा नजरी ठीक से तैयार न किया हो। यह कहना भी गलत बताया कि अभियुक्त की गिरफतारी अपने सहयोगी की मदद से न की हो और गिरफतारी के समय गवाहान के बयान न लिये हों।

इस साक्षी की साक्ष्य से की गयी जिरह से अभियुक्त की गयी गिरफतारी के सम्बन्ध में कोई संदेहात्मक तथ्य उभर कर नहीं आया है।

23– अभियोजन की ओर से परीक्षित पी.डब्लू.8 एस.आई. प्रीति सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में

WWW.LIVELAW.IN

इस घटना से सम्बन्धित मृतका का पंचायतनामा तैयार कर, भरा जाना कहा है तथा पत्रावली में पंचायतनामा प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में, साक्षी ने प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र सिंह, एस.आई. विजय कुमार यादव व कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मु.अ.सं. 534/2022 अन्तर्गत धारा– 363 भा.द.सं. साक्ष्य इकठठा करने के हेतु अभियुक्त कपिल पुत्र मोहन के द्वारा बताये स्थान ग्राम शाहजहाँपुर रोरी रोड ईख के खेत में जाना, साक्षी ने ईख के खेत के अन्दर 200 कदम की दूरी पर मृतका आयु 9 वर्ष का शव मिलना, तथा प्रभारी निरीक्षक के आदेश पर पंचनामे की कार्यवाही साक्षी के द्वारा किया जाना कहा है। साक्षी ने पंचायतनामे की कार्यवाही के दौरान एफ.एस.एल. की टीम का मौके पर पहुँचना व एफ.एस.एल. की टीम के द्वारा मृतका के दाहिने हाथ की मुठठी में बन्द बालों को लेकर माल परीक्षण हेतु सर्वेसील मोहर कर, पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर परीक्षण हेतु भेजा जाना कहा है तथा मौके से बरामद दो जोड़ी चप्पल, साइकिल व मिट्टी की फर्द लिखा जाना भी कहा है। यह भी कथन किया है कि मृतका के गले पर काला नीला रंग का निशान था। साक्षी ने पंचायतनामा स्वयं के द्वारा ही तैयार किये जाने की पुष्टि की है।

इस साक्षी की साक्ष्य के परिशीलन से मृतका का पंचायतनामा प्रदर्श क–6 मौके पर तैयार किया जाना व एफ.एस.एल. की फील्ड यूनिट द्वारा मृतका के हाथ में भरे बाल को परीक्षण हेतु भेजा जाना साबित किया है।

उल्लेखनीय है कि मृतका के दाहिने हाथ की मुठठी में बन्द बालों को विधि विज्ञान प्रयोग शाला, उ०प्र० गाजियाबाद की परीक्षण रिपोर्ट का.सं.27 क/5 में बाल–(ES–20) के सम्बन्ध में (ES–20)(घटना स्थल से) का डी.एन.ए. प्रोफाइल स्रोत चि० प्रदर्श (ES–6) (कपिल) के समान पाया गया है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मृतका की मुठ्ठी से बरामद हुए बाल अभियुक्त कपिल के थे, जो अपराध कारित करते समय मृतका द्वारा किये संघर्ष के दौरान खींचे गये।

24– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 9 **निरीक्षक योगेन्द्र कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दि.19–08–2022 को एक मुकदमा अ.सं. 534/2022 धारा–363 भा.द.स. में पंजीकृत होकर विवेचना पूर्व विवेचक उपनिरीक्षक भरत सिंह परिहार के सुपुर्द की गयी, उक्त मुकदमे में धारा–302,376AB भा.द.सं. की वृद्धि होने पर विवेचना साक्षी के द्वारा ग्रहण की करना तथा दिनांक–19–08–2002 को सी.डी.नं.2 किता किया जाना कहा है। साक्षी ने न्यायालय के समक्ष खोले गये माल पुलन्दा में से निकले सफेद लिफाफा को वस्तु बाल प्रदर्श–1 के रूप में तथा एक अन्य लिफाफा घटना स्थल से ली गयी मिट्टी को वस्तु प्रदर्श–2 के रूप में, एक अन्य सफेद लिफाफा एनल स्वाव वस्तु प्रदर्श–3, एक अन्य लिफाफा वैजाइनल स्लाइड वस्तु प्रदर्श–4, एक अन्य लिफाफा ओरल स्वाव व नमूना वस्तु प्रदर्श–5,एक अन्य लिफाफा अभियुक्त कपिल से प्राप्त ब्लड नमूना वस्तु प्रदर्श–6,एक अन्य सफेद लिफाफा अभियुक्त से प्राप्त प्यूबिकहेयर वस्तु प्रदर्श–7,एक अन्य लिफाफा अभियुक्त से प्राप्त नेल स्क्रेनिंग वस्तु प्रदर्श–8, एक अन्य सफदे लिफाफा मृतका से प्राप्त स्वैव नमूना वस्तु प्रदर्श–9,एक अन्य लिफाफा अभियुक्त से प्राप्त स्कैल्प हेयर वस्तु प्रदर्श–10 के रूप में साक्षी ने साबित किये हैं।

साक्षी पी.डव्लू. 9 ने आगे अपनी साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष खोले गये एक अन्य लिफाफे से प्राप्त स्मेग्मा व पेनिस स्वेव को वस्तु प्रदर्श क–11, एक अन्य सफेद लिफाफे से निकला मृतका से प्राप्त एक एनल स्वैव स्लाइड का पेयर नमूना वस्तु प्रदर्श–12, एक अन्य सफेद लिफाफा अभियुक्त

WWW.LIVELAW.IN

से प्राप्त ड्राइ ग्लास पेनिस स्लाइड वस्तु प्रदर्श–13, एक अन्य लिफाफे से निकले ओरल स्वाव को वस्तु प्रदर्श–14 के रूप में साबित किये। इसके अलावा एक पीले बड़े लिफाफे को न्यायालय के समक्ष खोले जाने से उसमें निकले अभियुक्त के कपड़े नीले रंग का लोअर, एक अण्डरवीयर महरून कलर का, एक टी शर्ट नीले व महरून कलर, एक बनियान स्काई ब्लू,लिफाफे को वस्तु प्रदर्श–15 के रूप में तथा एक अन्य पुलन्दा से मृतका के घटना के समय पहने कपड़े निकले जिसमें एक पाजामी, एक टॉप व घास के टुकड़े घटना स्थल से लिये, वस्तु प्रदर्श–16, मृतका के कपड़े व अन्य सामान जिस पोटली सफेद मारखीन में रखे थे, व ह वस्तु प्रदर्श–17 व एटलस कम्पनी की साइकिल काले रंग की जो घटना के समय अभियुक्त के पास थी व अभियुक्त की निशानदेही पर कब्जे में ली गयी थी, को वस्तु प्रदर्श–18 के रूप में न्यायालय के समक्ष साबित किये। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटना में प्रयुक्त उक्त वस्तुओं के सम्बन्ध में फर्द लेने के कब्जे साक्षी द्वारा अभियुक्त कपिल व मुकदमा वादी व दो अन्य व्यक्ति फुरकान व ताहिर की मौजूदगी में तैयार की थी, जो सहयोगी विवेचक द्वारा बोले जाने पर तैयार की थी। उक्त फर्द साक्षी ने पत्रावली में **प्रदर्श क–7** के रूप में साबित की है तथा घटना स्थल से ली गयी **मिट्टी की फर्द प्रदर्श क–8** के रूप साबित की है तथा इन पर अपने हस्ताक्षर शिनाख्त किये है।

साक्षी पी.डव्लू.9 ने आगे अपनी साक्ष्य में, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर, नक्शा नजरी तैयार किया जाना कहा है तथा इस पर अपने हस्ताक्षर शिनाख्त कर **प्रदर्श क–9** के रूप में साबित की है तथा साक्षी ने इस केस में पुलिस टीम के साथ काम कर रही फील्ड यूनिट द्वारा एफ.एस.एल. उत्तर प्रदेश के लिए प्रपत्र तैयार किया गया,पर अपने हस्ताक्षर शिनाख्त कर प्रदर्श **क–10** के रूप में साबित किया है। साक्षी ने मृतका के शव बरामदगी स्थल से प्राप्त मिट्टी के सम्बन्ध में तैयार **फर्द प्रदर्श क–8** पर भी अपने हस्ताक्षर शिनाख्त किये, साक्षी ने सी.डी. नं.4 में पीडिता के बयान अंकित करना व पीड़िता के साथ रही कु. सारिका पुत्री शकील, शिफा पुत्री इमरान, जोधा पुत्री फुरकान के बयान भी अंकित करना कहा है। साक्षी ने अन्य विवेचना का विवरण देते हुए यह भी कथन किया है कि दिनांक–18–08–2022 घटना वाले दिन की फुटेज चैक करते हुए अभियुक्त द्वारा पीड़िता एवं मृतका को घटना वाले दिन साइकिल पर बैठाकर ले जाता हुआ दिखायी दे रहा है, जिसके सम्बन्ध में एक अदद पैन ड्राइव सम्बन्धित घटना **सी.सी.टी. वी फुटेज, 65 बी.** का प्रमाण–पत्र लिया जो पत्रावली में दाखिल है, साक्षी ने उक्त प्रमाण–पत्र **प्रदर्श क–11** के रूप में साबित किया है। सम्बन्धित पैन ड्राइव पत्रावली में वस्तु प्रदर्श–19 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने अभियुक्त कपिल पुत्र मोहन के विरूद्ध धारा–363, 376AB , 302,323 भा.द.सं. व धारा–5/6 पॉक्सो अधि. का अपराध साबित होना पाते हुए आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित करना कहा है तथा साक्षी ने उक्त आरोप–पत्र पत्रावली में **प्रदर्श क–12** के रूप में साबित किया है।

इस साक्षी से अभियुक्त/बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत जिरह की गयी है। साक्षी ने जिरह कहा है कि उसने कुल 8 पर्चे किता किये थे तथा लगभग 30 गवाहान के बयान दर्ज किये थे, यह कहना सही है कि जिस स्थान पर पीड़िता का शव मिला था उस स्थान का नक्शा नजरी साक्षी ने बनाया था, पंचायतनामा साक्षी के निर्देश पर उ.नि० प्रीति द्वारा भरा गया था, पंचान की राय में बताया था कि मृतका की बलात्कार करके हत्या कर दी गयी है। शव की सर्वे सील , नमूना मोहर व सारी प्रक्रियाएं साक्षी के निर्देश पर एस.आई. प्रीति के द्वारा की गयी। पोस्टमार्टम के लिए एक महिला कॉस्टेबिल गीता

WWW.LIVELAW.IN

व पुलिस कॉ० लेकर गये थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उसने अवलोकन किया था जिसमें बलात्कार करने के बाद हत्या पाया गया था, जिस खेत से पीड़िता का शव मिला था, वह गाँव की किसी शकुन्तला देवी का खेत था क्योंकि वह गाँव में नहीं रहत थी, इसलिए उसके बयान अंकित नहीं किये। घटना स्थल पर पंचनामा के पंचान/मृतका के ताहिर, सलमान, सूरज, आशू और शौकीन थे। मृतका शव चित अवस्था में पड़ा था। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझावों से इन्कार कर कहा कि यह कहना गलत है कि घटना से जहाँ बच्ची का शव बरामद हुआ, एकत्र सामान एफ.एस.एलत्र. न भेजा हो। यह कहना भी गलत है कि हाजिर अदालत में आकर झूठी गवाही दे रहा हो।

इस प्रकार इस साक्षी की जिरह से भी बचाव पक्ष कोई विपरीत तथ्य ऐसा नहीं निकाल पाया है जो अभियोजन कथानक को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता हों।

25– अभियोजन की ओर से अन्य चिकित्सीय साक्षी पी.डव्लू.11 अनिल यादव ने अपने सशपथ साक्ष्य में दिनांक–22–08–2022 को पीड़िता शिफा उम्र 6 वर्ष का चिकित्सीय परीक्षण करना कहना है तथा उसको आयी चोटों का विवरण देते हुए यह चोटें चार–पाँच दिन पुरान नाखूनों की खरोंच के कारण आना कहा है तथा इस सम्बन्ध में तैयार मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–13 के रूप में साबित की गयी है।

इस साक्षी से जिरह की गयी है और जिरह में साक्षी ने कहा है कि यह कहना सही है कि परीक्षण में आयी चोटों से साफ जाहिर है कि ये चोटें हमलावर होने की वजह से आयीं है जिसमें मृतका अपना बचाव करती नजर आयी, इसके बावजूद भी मृतका के शरीर पर चोटों के निशान जाहिरा तौर पर स्पष्ट है। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि बिना परीक्षण रिपोर्ट के अपने कार्यालय में बैठकर तैयार कर दी हो।

इस साक्षी की साक्ष्य यह स्पष्ट करती है कि यह मृतका एवं कपिल के मध्य अपराध कारित करने के दौरान नोंच–खसोंट भी हुई थी।

अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य औपचारिक साक्षी पी.डव्लू.12 कॉ० 1211 लकीपाल सिंह ने इस घटना की तहरीर के आधार पर चिक एफ.आई.आर कम्प्यूटर पर टाइप किया जाना कहा है तथा पत्रावली में उक्त एफ.आई.आर. प्रदर्श क–14 के रूप में साबित की है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर इस साक्षी ने कहा है कि वादी मुकदमा तहरीर लेकर अकेला आया था, तहरीर हाथ की लिखी हुई थी, तहरीर में अभियुक्त का नाम कपिल के रूप में खोला गया।

इस प्रकार प्रकरण में नामजद एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है।

26– अभियोजन की ओर से परीक्षित पी०डव्लू० 13 कॉ० अमित कुमार ने अपने सशपथ साक्ष्य में इस मुकदमे का खुला साक्षी के द्वारा कम्प्यूट्रीकृत जी.डी. नं० 006/4–5 बजे दिनांक–19–08–2022 को किया जाना कहा है तथा प्रदर्श क–15 के रूप में साबित किया है।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में इस साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि जी.डी. में इन्द्राज उसके द्वारा न किया गया हो।

27– उपर्युक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादी इमरान की 9 वर्षीया पुत्री मृतका एवं भान्जी पीड़िता को अभियुक्त कपिल दिनांक–18–08–2022 को साइकिल पर बैठाकर ले गया, यह तथ्य साक्षी पी.डव्लू.2 पीड़िता , पी.डव्लू.3 सतपाल एवं पी.डब्लू.5 राजेन्द्र की साक्ष्य से भलीभाँति साबित हो चुकी हैं, इनकी साक्ष्य में जो थोड़ा बहुत असंगतियाँ हैं, वह ग्रामीण परिवेश एवं कम पढा–लिखा होने के कारण सभी चीजों को तारतम्यतापूर्वक न रख पाने के कारण हैं। मूलतः कोई गम्भीर

WWW.LIVELAW.IN

विरोधाभास, जो अभियोजन कथानक को प्रभावित करता हो, इन साक्षीगण की साक्ष्य में नहीं आया है।

28– प्रस्तुत मामले की प्रथम विवेचक पी.डब्लू.7 भरत सिंह परिहार एवं द्वितीय विवेचक पी.डब्लू.9 निरीक्षक योगेन्द्र सिंह के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि मृतका का शव शकुन्तला नाम की महिला के ईख के खेत में कपिल के द्वारा बरामद कराया गया, मौके से बरामद चप्पलों, साइकिल आदि की फर्द बरामदगी तैयार की गयी एवं फोरेन्सिक टीम द्वारा संकलित वस्तुओं को परीक्षण हेतु भेजा गया। उक्त प्रपत्रों को अभियोजन औपचारिक साक्षीगण द्वारा पूर्णतया साबित किया गया है।

29– उल्लेखनीय है कि मृतका के हाथ से बरामद बाल, घटना स्थल/शव बरामदगी से बरामद किये गये मिट्टी क्रमशः (E–20) (E–21)एवं मृतका व अभियुक्त के कपड़ों के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ.प्र. से परीक्षण कराया गया जिसके सम्बन्ध में का.सं.27 क/4 ता 27 क/5 पत्रावली पर उपलब्ध है जोकि एक पब्लिक डोक्यूमेन्ट है और इस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित कराया जाना आवश्यक नहीं है। घटना स्थल/शव बरामदगी से बरामद किये गये मिट्टी क्रमशः (E–20) (E–21) का परीक्षण कराये जाने पर डी.एन.ए. प्रोफाइल स्रोत अभियुक्त कपिल के समान पाया गया। स्रोत वैजाइनल स्वैब स्टिक (1) (ES–1), वैजाइनल स्लाइड (2) (ES–2) एवं एनल स्वैब स्टिक(1) (ES–3), एनल स्लाइड (2)(ES–5) व पाजामी (ES–17)जोकि मृतका के लिये गये,में पुरूष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पायी गयी।

30– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र विश्लेषण से यह तथ्य स्थापित होता है कि मृतका एवं पीड़िता के व्यपहरण के चक्षुदर्शी साक्षियों के मौखिक बयानों की पुष्टि इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य सी.सी.टी.वी.फुटेज से होती है तथा उनके बयान एक दूसरे के बयानों के संगत है और एक–दूसरे के बयानों की पुष्टि करते हैं। अतः व्यपहरण के अपराध के सन्दर्भ में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण पूर्णतया विश्वसनीय साक्षी हैं। डॉक्टर के साक्ष्य, चिकित्सीय रिपोर्ट एवं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से मृतका के शरीर पर आयी चोटें प्रमाणित होती हैं। साथ ही मृतका के साथ बलात्कार किये जाने की पुष्टि भी होती है। अभियुक्त कपिल द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है कि मृतका को जो चोटें आयी हैं तथा मृतका के साथ जो बलात्कार/गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला हुआ है वह उसके द्वारा नहीं किया गया है,बल्कि किसी अन्य के द्वारा किया गया है। चूँकि मृत्यु के ठीक पूर्व मृतका का अभियुक्त कपिल के साथ रहना साबित है। अतः उसके साथ जो भी अपराध/घटना घटित हुयी है, वह सब अभियुक्त द्वारा ही कारित होना साबित होती है।

31– उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अभियुक्त कपिल द्वारा पीड़िता एवं मृतका को साइकिल पर बैठाकर व्यपहरण कर ले जाना, मृतका का शव ईख के खेत में पाया जाना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के साथ बलात्कार होने एवं गला घोंट कर हत्या होने के तथ्य की पुष्टि होना, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मुठ्ठी में पाये गये बाल अभियुक्त कपिल के होना, मृतका के कपड़ो पाजामी एवं उक्त स्लाइड में पुरूष विशिष्ट एलील का पाये जाना, सभी तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि अभियुक्त कपिल द्वारा मृतका एवं पीड़िता को व्यपहरण कर ले जाया गया तथा मौके से मृतका की ममेरी बहन पीड़िता, अभियुक्त की पकड़ से भागने में सफल रही एवं मृतका के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार (गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला) जैसा अपराध किया गया, इसी दौरान चीखने अथवा रोने की आवाज को दबाने के लिए उसका

WWW.LIVELAW.IN

गला घोंटा गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार मामले में अभियोजन द्वारा एकत्र किये गये मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्य अभियुक्त कपिल पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–363,376A.B.,302,323 भा.द.सं. एवं धारा–6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के गठित करने वाले तथ्यों को एक सूत्र में पिरोते हैं एवं सभी परिस्थितियां निश्चयात्मक प्रकृति की एवं निर्बाध रूप से एक–दूसरे से आबद्ध हैं। जिनसे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त कपिल द्वारा ही मृतका एवं पीड़िता के साथ धारा–363 भा.द.सं. व मृतका के साथ धारा–376A.B.,302,323 भा.द.सं. एवं धारा–6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय जघन्य अपराध कारित किया गया है।

32– इस प्रकार न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 363,376A.B.,302,323 भा.द.सं. एवं **6 पोक्सो एक्ट**, को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त कपिल पुत्र मोहन धारा–363, 376A.B.,302,323 भा.द.स.एवं धारा–6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध होने योग्य है।

आदेश

33. तदनुसार अभियुक्त कपिल पुत्र मोहन को दाण्डिक वाद सं.202/2022,मु०अ०सं० 534/2022 सरकार बनाम कपिल में धारा– 363, 376A.B.,302,323 भा.द.सं. एवं धारा–**6** लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 थाना–मोदीनगर, गाजियाबाद के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित आया है। अभियुक्त को सजा के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली दिनांक 15–03–2023 को पेश हो।

दिनांक –13–03–2023

(अमित कुमार प्रजापति)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं० 1,
गाजियाबाद।

34– उपर्युक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक –13–03–2023

(अमित कुमार प्रजापति)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं० 1,
गाजियाबाद।

WWW.LIVELAW.IN

दिनांक 15.03.2023

1- पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पेश हुई। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त/बचाव पक्ष एवं अभियोजन को सुना गया।

2- अभियुक्त की तरफ से तर्क दिया गया कि वह गरीब है, नवयुवक है, उसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है। उक्त प्रकरण में घटना के बाद से ही जेल में है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, उसका यह प्रथम अपराध है, उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय। अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, उसने भी कम से कम दण्ड से दण्डित करने की याचना की ।

3- अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने कामेच्छा के वशीभूत होकर, वादी की नौ वर्षीया पुत्री मृतका को एवं 6 वर्षीया भान्जी को व्यपहरण कर ले गया, मृतका के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार/गुरूतर लैंगिक हमला किया, जिससे पीड़िता का शरीर/जननांग न केवल बुरी तरह घायल हुए,व उसके शरीर से रक्तस्राव हुआ। मृतका केवल नौ वर्षीया अविकसित कली की तरह थी,उसका जीवन प्रारम्भ हुए केवल कुछ वर्ष ही हुए थे,लेकिन अभियुक्त ने न केवल उसे विकसित होने से पूर्व ही कुचल दिया, अपितु मृतका के असहाय होकर रोने–चिल्लाने पर उसकी नाजुक वय एवं विवशता का लाभ उठाते हुए, उसकी आवाज बन्द करने के लिए, उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त कपिल के विरूद्ध अपराध सन्देह से परे निश्चयात्मक रूप से पूर्णतया साबित है। अभियुक्त का अपराध अत्यन्त घृणित प्रकृति का मानवता को शर्मशार करने वाला है, अभियुक्त जैसे आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति यदि समाज के अन्दर जीवित रहे तो नारी समाज एवं मानवता के लिए एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो जायेगा। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर, घृणित एवं जघन्य है। यह मामला विरल से विरलतम कोटि का है, ऐसे हैवानियत भरे अपराधी को विधि एवं न्याय की दृष्टि से अपेक्षित गम्भीरत दण्ड/मृत्यु दण्ड ही दिया जाना चाहिए, ताकि समाज में पल रहे ऐसे अपराधियों को सबक मिल सके तथा मृतका एवं उसके परिवार वालों को न्याय मिल सके। विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो)ने अभियुक्त को मृत्य दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की ।

4- प्रश्नगत मामले में अभियुक्त को धारा- 363, 376A.B.,302,323 भा.द.सं. एवं धारा–6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, में दोषसिद्ध किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बनाम बाबू लाल निर्णय दिनांकित 12 अगस्त 2013 में स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया गया है कि दाण्डिक विधि के प्रमुख लक्ष्यों में से एक यह है कि अभियुक्त को उपयुक्त, उचित एवं समानुपाती दण्ड से दण्डित किया जाये, जिसे अपराध की गम्भीरता तथा कारित किये जाने के प्रकार के अनुरूप होना चाहिए। अपराध एवं दण्ड के मध्य समानुपात होना चाहिए, दण्ड प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कारक है, जिसे सामाजिक हित तथा सामाजिक जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में विचारा जाना चाहिए। अभियुक्त के प्रति अवांछित उदारता को दिखाते हुए नरम

WWW.LIVELAW.IN

दृष्टिकोण किसी भी प्रतिफल के फलस्वरूप जिसमें दाण्डिक प्रक्रियाओं का विलम्ब से निष्कर्षित किया जाना भी समाहित है, लिया जाना न्याय का उपहास किये जाने के समान होगा। प्रदत्त दण्ड इतना उदार भी नहीं होना चाहिए कि समाज की जागरूकता को आघात प्रदान करें, तथा दण्ड प्रणाली के प्रति घृणा उत्पन करें।

5– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 42 में स्पष्ट रूप से यह वर्णित है कि जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दण्ड संहित (1860 का 45) की धारा 166 क, धारा 354 क, धारा 354 ख, धारा 354 ग, धारा 354 घ, धारा 370 धारा 370 क, धारा 375, धारा 376 (धारा 376 क, धारा 376 कख, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376 घक, धारा 376 घख, धारा 376 ड, या धारा 509 के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित होता है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध को दोषी पाया गया अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है।)

6– प्रश्नगत मामले में अभियुक्त कपिल को अन्तर्गत धारा 376A.B.भा०दं०सं० व धारा 6 पॉक्सो अधिनियम में दोषसिद्ध किया गया है। अन्तर्गत धारा 42 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है। धारा 376AB. भा०दं०सं० के अनुकल्पित दण्ड का प्रावधान अन्तर्गत धारा 6 पॉक्सों अधिनियम में वर्णित है जोकि धारा–376A.B.भा.द.सं. से अधिक गम्भीर एवं गुरूतर है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम बालकों के लैंगिक अपराध से संरक्षण हेतु पारित विशेष अधिनियम है। ऐसी दशा में अभियुक्त कपिल को धारा 376AB भा०दं०सं० में दण्डित न करते हुए अन्तर्गत धारा 6 पॉक्सो अधिनियम में दण्डित किया जाना न्यायसंगत है।

7– उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये तर्कों के आलोक में दण्ड की मात्रा पर विचार करने के लिए अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध एवं अपराध किये जाने के तरीके को विचारित किया जाना आवश्यक है। अभियुक्त द्वारा लगभग नौ वर्ष की कोमल बालिका के साथ बलात्कार एवं हत्या जैसा घृणित अपराध किया गया है। अभियुक्त ने अबोध बालिका का व्यपहरण कर गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध कारित किया तथा अपराध कारित किये जाते समय, पीड़िता के चीखने–चिल्लाने से उत्पन्न शोर से बचने के लिए अभियुक्त द्वारा उसका गला दबाया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित अपराध का अभियुक्त कपिल के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने का किंचित मात्र भी सन्देह उत्पन्न नहीं होता है। अपराध को किये जाने का कोई क्रूरतम तरीका अभियुक्त कपिल द्वारा नहीं अपनाया गया है परन्तु अभियुक्त कपिल धारा– 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी पाया गया है जोकि कोमल वय बालकों के प्रति किये गये अपराध के लिए विशेष रूप से दण्ड का प्रावधान करती है, जिसका उद्देश्य कोमल वय बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षित किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्त कपिल मृतका के पड़ौस का रहने वाला है उसने एक सुनियोजित तरीके से मृतका एवं पीड़िता का व्यपहरण कर अपराध कारित किया है। उसके द्वारा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का घोर हनन किया गया है। कोमल वय बच्चों के प्रति उत्पन्न होने वाले सहज प्रेम,

WWW.LIVELAW.IN

उदारता एवं दयाभाव भी अभियुक्त कपिल के हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ जबकि मृतका के व्यपहरण एवं उसके साथ कारित किये गये गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले के अपराध के बीच समयान्तराल भी रहा है, जोकि अभियुक्त की घोर आपराधिक मानसिकता को दर्शित करता है। ऐसी मानसिकता वाले अपराधी को समाज में जीवित रखना अन्य बालक अथवा व्यक्ति को खतरा उत्पन्न करना है। ऐसे दुर्दान्त अपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति के द्वारा किये गये अपराध के लिए विशेष अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानित अधिकतम दण्ड दिये जाने से ही विधायिका का कोमल वय बालकों के प्रति लैंगिक अपराधों से संरक्षण का आशय/लक्ष्य पूर्ण होगा तथा समाज में न्यायिक प्रक्रिया एवं न्याय प्रणाली के प्रति सदभाव एवं विश्वास उत्पन्न हो सकेगा।

8- तद्नुसार प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त कपिल, धारा-363 भा.द.स. के अपराध के लिए 6 वर्ष के कठिन कारावास एवं अंकन 10,000/-रू० के अर्थदण्ड, धारा- 323 भा.द.स., के अपराध के लिए एक वर्ष के कारावास एवं अंकन 1,000/-रूपये के अर्थदण्ड, धारा-302 भा.द.सं. के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं अंकन 50,000/-रू० के अर्थदण्ड, तथा धारा- 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए मृत्युदण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

9. अभियुक्त **कपिल** पुत्र मोहन, निवासी–ग्राम रोरी, थाना–मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद को दाण्डिक वाद/सैशन केस सं. 202/2022,मु०अ०सं० 534/2022 सरकार बनाम कपिल, धारा–363,376A.B.,302,323 भा.द.सं.,एवं धारा– 5/6 पॉक्सो अधिनियम,थाना मोदीनगर, जिला गाजियाबाद के प्रकरण में निम्न दण्ड से दण्डित किया जाता है।

(i) धारा-363 भा.द.स. के अपराध के लिए 6 वर्ष के कठिन कारावास एवं अंकन 10,000/-रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अथर्दण्ड का भुगतान न किये जाने पर छः माह का अतिरिक्त कठिन कारावास भुगतना होगा ।

(ii) धारा-302 भा.द.सं. के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं अंकन 50,000/-रू० के अर्थदण्ड, से दण्डित किया जाता है, अथर्दण्ड का भुगतान न किये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठिन कारावास भुगतना होगा ।

(iii). धारा- 323 भा.द.स., के अपराध के लिए एक वर्ष के कारावास एवं अंकन 1,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अथर्दण्ड का भुगतान न किये जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

(iv) धारा- 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को मृत्यु होने तक फाँसी पर लटकाया जाये।

10- अभियुक्त द्वारा कारागार में बितायी गयी अवधि, दण्डादेश की अवधि में समायोजित की जायेगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

11- अभियुक्त द्वारा अदा की गयी अर्थदण्ड की आधी धनराशि मृतका के पिता इमरान को प्रदान की जायेगी।

12. इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश क्षतिपूर्ति योजना के तहत मृतका के परिवार को (विधि/नियम के अन्तर्गत अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए) क्षतिपूर्ति अदा किये जाने की संस्तुति की जाती है। सचिव जिला विधिक प्राधिकरण को आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

WWW.LIVELAW.IN

13. धारा 365 दं० प्र०सं० के अन्तर्गत निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को तथा एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद को अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

14. इस निर्णय एवं दण्डादेश की एक सत्यापित प्रति अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये। उपर्युक्त सजा भुगतने हेतु अभियुक्त का सजायावी वारण्ट बनाकर जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

15– नियम–64 सामान्य नियम दाण्डिक एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं.47 दिनांकित–23 अप्रैल 1958 के अनुपालन में मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि हेतु मामला नियमानुसार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित किया जाय।

दिनांक 15-03-2023

(अमित कुमार प्रजापति)
JO Code: UP-6330
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं० 1,
गाजियाबाद।

16-उपर्युक्त दण्डादेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, सुनाया गया।

दिनांक 15-03-2023

(अमित कुमार प्रजापति)
JO Code: UP-6330
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं० 1,
गाजियाबाद।

WWW.LIVELAW.IN

Digitally signed by Amit Kumar Prajapati
Date: 2023.03.15 16:50:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court